संसदीय पत्रिका

खंड 69 अंक 3 सितंबर 2023

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

संसदीय पत्रिका

खंड 69 **अंक 3** **सितम्बर 2023**

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

संसदीय पत्रिका

खंड 69 **अंक 3** **सितम्बर 2023**

इस अंक में

पृष्ठ

अभिभाषण

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा 10 मई, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिये प्राइड द्वारा आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान दिया गया भाषण..... 1

28 मई, 2023 को संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषण..... 6

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सम्बोधन..... 8

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला का सम्बोधन..... 15

संसदीय घटनाक्रम तथा कार्यकलाप

सम्मेलन और संगोष्ठियां..... 18

राष्ट्रीय नेताओं की जयंती..... 21

संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड)..... 22

संसद सदस्य संदर्भ सेवा..... 26

संसदीय और संवैधानिक घटनाक्रम

संसदीय रुचि का नवीनतम साहित्य

परिशिष्ट

एक. 01 अप्रैल से 30 जून 2023 की अवधि के दौरान लोक सभा की समितियों द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण..... 37

दो. 01 अप्रैल से 30 जून 2023 की अवधि के दौरान राज्य सभा की समितियों द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण..... 40

तीन. 01 अप्रैल से 30 जून 2023 की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधानमंडलों के कार्यकलापों को दर्शाने वाला विवरण..... 42

पृष्ठ

चार. 01 अप्रैल से 30 जून 2023 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूची..... 48

पांच. 01 अप्रैल से 30 जून 2023 की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों की सूची..... 49

छह. 01 अप्रैल से 30 जून 2023 की अवधि के दौरान केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश..... 51

सात. लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधानमंडलों में दलों की स्थिति..... 53

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा 10 मई 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए प्राइड द्वारा आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान दिया गया उद्घाटन भाषण

संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा हिमाचल प्रदेश विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए एक प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा 10 मई 2023 को प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान दिया गया उद्घाटन भाषण

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला 10 मई 2023 को संसद भवन परिसर में प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को संबोधित करते हुए

हिमाचल राज्य से आए सभी नव निर्वाचित माननीय विधायकगण, मैं भारत की संसद में 'प्राइड' की तरफ से आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप उस राज्य से आते हैं, जो प्राकृतिक रूप से भी सुन्दर है। संस्कृति के रूप में हिमाचल की एक अलग पहचान है। झील, नदियां, बर्फ और पहाड़ से सुसज्जित भारत के एक सबसे सुंदर राज्य

हिमाचल प्रदेश की जनता का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भौगोलिक दृष्टि से विविधता वाला क्षेत्र है। लेकिन विविधता के अंदर भी हमारी संस्कृति, हमारे आध्यात्मिक, हमारे सामाजिक-राजनीतिक रूप से भी इसकी अपनी एक अलग पहचान है। आप सबको जनता ने बहुत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। चूंकि वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार कुछ इलाका पहाड़ी है, कुछ समतल है, छोटे-छोटे गांव हैं, इसलिए उन सबकी भावनाएं, उनकी समस्याएं, उनकी कठिनाइयां, उनकी अभिव्यक्ति करने का दायित्व आपको हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व बन जाता है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की समस्या और कठिनाइयां हम विधान सभा के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाएं। हमारा महत्वपूर्ण काम यह है कि हम जनसंवाद करें, चर्चा करें। उनके अभावों और कठिनाइयों को सदन के माध्यम से सरकार में लाएं और किस तरीके से उनके अभावों को दूर कर सकते हैं, इसके लिए एक सार्थक प्रयास करें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आपका संपूर्ण राज्य की जनता के कल्याण के लिए है। उनके आर्थिक, सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाएं। उनकी दिनचर्या में कानून बना कर, रूल्स बना कर एक पारदर्शी पद्धति से उनकी समस्याओं का समाधान हो, यह भी आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

राज्य की सर्वोच्च संस्था विधान सभा होती है, इसलिए जितना अच्छा हमारा आचरण होगा, सदन में हम जितनी बेहतर चर्चा और संवाद करेंगे, बेहतर निर्णय करेंगे, उतना ही वहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। मेरा मानना है कि आम जनता की रोज़मर्रा की समस्याएं राज्य की रहती हैं। इसलिए राज्य विधान सभा लोकतंत्र का एक ऐसा मंच है, जिससे हम जनता से बेहतर संवाद करके, सरकार से समन्वय करके और अपनी नियम, प्रक्रियाओं के तहत मुद्दों को उठा कर एक बेहतर समाधान जनता की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। हमारे दल, हमारी विचारधारा अलग-अलग हो सकती है। लेकिन हम सबका एक दायित्व है प्रदेश की जनता का कल्याण करना। इसमें कोई दो मत नहीं हैं। इसलिए ऐसे मुद्दे जो कल्याणकारी हैं, संपूर्ण प्रदेश के लिए सभी हितकारकों के लिए आवश्यक हैं, उसके लिए समय-समय पर कानून में परिवर्तन करते समय हमें व्यापक चर्चा और संवाद करना चाहिए। कानून बनाते समय विधायकों को जनता का फीडबैक भी लेना चाहिए। कानूनी विचार-विमर्श भी एक्सपर्ट से करना चाहिए। फिर कानून बनते समय अपनी चर्चा के अंदर जो कुछ भी अनुभव आपके हैं, उनको आप सदन में रखेंगे तो कानून बेहतर बनेंगे, पारदर्शितापूर्ण बनेंगे और जनता के लिए कल्याणकारी होंगे। भारत का लोकतंत्र

बहुत प्राचीनतम लोकतंत्र है । इसलिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की पहचान है। हमारे देश के अंदर, क्योंकि प्राचीनतम लोकतंत्र होने के कारण हमारी विचारधारा, हमारी कार्य प्रणाली, लोकतांत्रिक रूप से चलने वाले चाहे गांव हो, ढाणी के अंदर हमारा जनमानस, इसलिए आप देखते होंगे कि इस लोकतंत्र के माध्यम से ही इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर देश में सामाजिक, आर्थिक रूप से व्यापक तौर पर सकारात्मक बदलाव संभव हुए हैं। आजादी के पहले भी भारत में लोकतंत्र था। गांव के अंदर लोकतांत्रिक परंपराएं थीं, परिपाटियां थीं। गांव में जो कुछ निर्णय होते थे, सभी उनको मानते थे। आजादी के बाद जब भारत ने संसदीय लोकतंत्र अपनाया तो दुनिया के कई देश यह मानते थे कि इतने बड़े देश के अंदर, जहां की भौगोलिक स्थितियां अलग-अलग हों, विचारधारा अलग-अलग हो, संस्कृति अलग-अलग हो, बोली अलग हो, खान-पान अलग हो, वहां किस तरीके से देश में संसदीय लोकतंत्र चल पाएगा । ये आशंकाएं दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में थीं । लेकिन भारत में जब संविधान बना, उस समय हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। सबको मताधिकार दिया गया। हमने लिंग के आधार पर मत का विभाजन नहीं किया। दुनिया के अंदर सरकार की अलग-अलग पद्धतियां होती हैं, हमने संसदीय लोकतंत्र पद्धति को अपनाया है, जो दुनिया के अदंर आज सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक पद्धति है। जहां–जहां भी संसदीय लोकतंत्र है, वहां पर शासन ठीक से चला है, जनता की भावना के साथ। कुछ अपवाद हो सकते हैं। मेरा तो मानना है कि एक विधान सभा के सदस्य के रूप में आपको भारत के संविधान को जानना चाहिए।

भारत के संविधान में जो अनुसूचियां हैं, उसके अंदर राज्य को कानून बनाने के लिए क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं और राज्यों के क्या-क्या अधिकार हैं, उसको जानना चाहिए। विधान सभा के नियम-प्रक्रियाओं को समझना चाहिए। विधान सभा के पुराने डिबेट, चर्चा और संवाद का अध्ययन करना चाहिए । जब कभी सरकार कानून बनाए तो उस कानून पर विधान सभा में क्या-क्या चर्चा हुई और संसद में उस विषय पर क्या-क्या चर्चा हुई, उसका रिसर्च पेपर तैयार करना चाहिए। मेरा मानना है कि हम जितना बेहतर तरीके से सदन के पटल पर अपनी बातों को रखते हैं, उतने ही बेहतर जनप्रतिनिधि बनते हैं। विधान सभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिससे आप का व्यक्तित्व निकलता है। आपके संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का लाभ देश, सरकार और जनता को मिलता है। इसलिए, जितनी देर तक आप सदन में बैठेंगे, आपको उतना ही अनुभव प्राप्त होगा। एक विधान सभा के प्लेटफॉर्म पर आपको राज्यों के अलग-अलग क्षेत्रों की समस्याएं भी ध्यान में आएंगी। जब अलग-अलग क्षेत्रों से विधायक

आते हैं, तो वे अलग-अलग मुद्दे उठाते हैं। सरकार को जानने के लिए, सरकार को समझने के लिए, सरकार और पूरे प्रदेश की समस्याएं एवं अभाव को समझने के लिए विधान सभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, जिससे पूरे राज्य का विषय उनके ध्यान में आ जाता है । वे चाहे सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में हो, जो बात विधान सभा में होती है, सरकार उसको सकारात्मक रूप से लेती है। सरकार देखती है कि यह मुद्दा क्यों उठा, यह विषय क्यों उठा और यह समस्या क्यों उठी? जब सरकार सकारात्मक प्रयास करती है, तो बदलाव आता है और उस बदलाव से जनता का कल्याण होता है । मेरा मानना है कि विधान सभाओं में और विशेष रूप से संसदीय समितियों में जो चर्चा होती है, वह दलों से ऊपर उठकर चर्चा होती है। इसलिए, आप सबका यह प्रयास होना चाहिए कि हम पूरे संविधान को जानें और संविधान की अनुसूचियों में राज्यों के जो अधिकार हैं, उनकी जानकारी लें। हम विधान सभा के रूल-रेगुलेशन को समझें। वहां की पुरानी डिबेट और चर्चा को समझें। वहां की परम्परा और परिपाटियों को समझें। किस तरीके से जो श्रेष्ठ विधायक रहे, जो विधानसभा से नेता बने, उनके अनुभव को आप जितना समझेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा।

मेरा मानना है कि विधान सभा में आपको विषय उठाने का मौका मिले न मिले, लेकिन जितनी देर आप विधानसभा में बैठेंगे, उतने ही ज्यादा विषय आपके ध्यान में आएंगे। आप चर्चा के समय उन सारे विषयों को सकारात्मक रूप से सदन में रख सकते हैं। जनसंवाद तथा जनता से सम्पर्क आदि तो हमारे जीवन की आवश्यकता है। यह काम सभी माननीय विधायक करते हैं। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जो पूर्ण रूप से डिजिटलीकृत है। मुझे जानकारी है कि वहां पुरानी डिबेट, चर्चा तथा संवाद का डिजिटलीकरण हो चुका है। इसलिए, जो मुद्दे आते हैं, उस मुद्दे पर पहले क्या विषय उठे थे, किस विषय पर कौन-से मुद्दे उठाये गए थे और किसने क्या बोला था, ये सब चीजें आपको वहां से मिलेगी और उसके अनुभव का लाभ अपनी चर्चा और संवाद के प्रक्रिया के दौरान मिलेगा। यह चिंता का विषय है कि विधान सभाओं के सत्र बहुत कम दिन चल रहे हैं। यह सबके लिए चिंता का विषय है। समय-समय पर हम इस विषय की चर्चा करते रहते हैं। हमारा मानना है कि विधान सभा में न व्यवधान होना चाहिए और न नियोजित तरीके से सदन को स्थगित करने की परम्परा होनी चाहिए। हर विषय पर डिबेट होना चाहिए। सहमति-असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता रही है। जहां आवश्यकता हो, वहां हम आलोचना करें। हम सकारात्मक आलोचना करें। लेकिन हमें आरोप-प्रत्यारोप से बचना चाहिए। लोकतंत्र का हमारा यह मंच आरोप-प्रत्यारोप

के लिए नहीं होता है। ये किसी पॉलिसी और कार्यकलापों के लिए होता है। हमें आलोचना करनी चाहिए। हमें तीखी आलोचना भी करनी चाहिए। सदन के अंदर आप जितनी तीखी आलोचना करेंगे और सकारात्मक सुझाव देंगे, अगर सरकार उसको सकारात्मक रूप से लेगी तो सरकार को भी अपनी कार्य योजना बनाने में बहुत बड़ा लाभ विधान सभा की डिबेट और चर्चा से मिलता है। मुझे भी पता है कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अलग है। वहां छोटे–छोटे गांव और ढाणियां हैं। कुछ इलाकों में चारों तरफ पहाड़ है। वहां इस प्रकार की कठिनाई जरूर है, लेकिन अंतिम पहाड़ पर बैठे हुए व्यक्ति को भी लगना चाहिए कि मेरा जनप्रतिनिधि मेरी भावनाओं, कठिनाइयों और अभावों को समझता है। उनको लगना चाहिए जिनको मैंने चुनकर भेजा है, वह मेरी बात को सदन के पटल पर रखकर सरकार से सकारात्मक रूप से हल करवाने का प्रयास कर रहा है। यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है। हमें यही विश्वास व भरोसा जनता को दिलाए रखना चाहिए कि आप अंतिम छोर पर बैठे हैं और आपने ही मुझे चुनकर भेजा है, इसलिए, हम आपकी आवाज है और आपकी भावनाओं को सदन में रखेंगे। हमें इसका प्रयास करना चाहिए। इसके सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से आएंगे। इसीलिए, जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनकर भेजती है।

आप सभी यहां पर आए हैं। यहां पर आपका दो दिन का प्रशिक्षण शिविर होगा। आप यहां की लाइब्रेरी देखें। अगर आपको समय मिले तो आप यहां की डिबेट्स का भी अध्ययन करें। किस तरीके से सदन की उच्च परंपरा व परिपाटियां रही हैं, उसी तरीके की उच्च परंपराएं व परिपाटियां विधान सभा में भी रहें। मैं आप सब का अभिनन्दन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं।

28 मई 2023 को संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 मई 2023 को हमारे सुदृढ और सक्षम लोकतंत्र के प्रतीक संसद के नए भवन का उद्घाटन किया। यह दिन हमारे महान राष्ट्र की गौरव यात्रा का एक ऐतिहासिक पल था। संसद का नया भवन ईंट और गारे से बनी एक इमारत मात्र नहीं है वरन् यह हमारी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी है। प्राचीन ज्ञान से समकालीन नवाचार तक हमारी यात्रा को परिलक्षित करता इसका डिजाइन आधुनिकता के साथ-साथ हमारी अद्भुत और समृद्ध विरासत को भी संजोए हुए है। हमारी विविधता के प्रति सम्मान भाव को दर्शाती इसकी संरचना का हर कोना हमारे सांस्कृतिक ताने-बाने को समृद्ध करतीं विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का स्मरण कराता है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में नए संसद भवन का उद्घाटन किया। समारोह का आरंभ वैदिक परंपराओं के अनुसार पूजा से हुआ। तत्पश्चात् प्रधानमंत्री जी ने लोक सभा कक्ष में पवित्र सेंगोल की स्थापना भी की। प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर उद्घाटन पट्टिका का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संसद के नए भवन के निर्माण में योगदान देने के लिए ग्यारह श्रमजीवियों को सम्मानित भी किया। तदुपरांत विभिन्न धर्म गुरुओं द्वारा सर्व धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और राज्य सभा के

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी; लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला और राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश 28 मई 2023 को नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करते हुए।

उपाध्यक्ष श्री हरिवंश ने इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी; लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला और राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश 28 मई 2023 को नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए ।

इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य सभा के उपसभापति, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद सदस्य, लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के पूर्व सभापति, भारत रत्न पुरस्कार विजेता, राजनयिक और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 28 मई, 2023 को संसद के नए भवन में
उद्घाटन भाषण देते हुए

[1]लोक सभा के स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी, राज्य सभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, माननीय सांसदगण, सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, विशिष्ट अतिथि, अन्य सभी महानुभाव, और मेरे प्यारे देशवासियों !

हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं, जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें, समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती हैं । आज 28 मई, 2023 का ये दिन, ऐसा ही शुभ अवसर है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है । आज सुबह ही, संसद भवन परिसर में, सर्वपंथ प्रार्थना हुई है। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतन्त्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

---

[1] https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pms–address–at–the–celebration–of–dedication–of–new–parliament–building–to–the–nation/?comment=disable&tag_term=pmspeech

साथियो,

ये सिर्फ एक भवन नहीं है। ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन, योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छाशक्ति को क्रियाशक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन, आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन, विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन, नूतन और पुरातन के सह-अस्तित्व का भी आदर्श है।

साथियो,

नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत, नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नई उमंग है। नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है। संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार फिर पूरा विश्व, भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को, आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन, भारत के विकास से, विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा।

साथियो,

आज इस ऐतिहासिक अवसर पर, कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को, कर्तव्यपथ का, सेवापथ का, राष्ट्रपथ का प्रतीक माना जाता था। राजाजी और आदीनम् के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदीनम् के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। मैं उन्हें पुन: श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनके ही मार्गदर्शन में लोक सभा में ये पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है। पिछले दिनों मीडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं मानता हूं, ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान-मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा।

साथियो,

भारत एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतन्त्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतन्त्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतन्त्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतान्त्रिक आदर्श सिखाते हैं। महाभारत जैसे ग्रन्थों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जीकर दिखाया है। हमने भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंटपा को अपना गौरव माना है। तमिलनाडु में मिला 900 ईस्वी का शिलालेख आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो ये हमारी संसद है। और ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, उसका उद्घोष करती है। 'शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भग चरैवेति' कहने का तात्पर्य जो रुक जाता है, उसका भाग्य भी रुक जाता है। लेकिन जो चलता रहता है, उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए, चलते रहो, चलते रहो। ग़ुलामी के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी। वो यात्रा कितने ही उतार–चढ़ावों से होते हुए, कितनी ही चुनौतियों को पार करते हुए, आज़ादी के अमृतकाल में प्रवेश कर चुकी है। आज़ादी का ये अमृतकाल– विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृतकाल है। आज़ादी का ये अमृतकाल– देश को नई दिशा देने का अमृतकाल है। आज़ादी का ये अमृतकाल– अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृतकाल है। इस अमृतकाल का आह्वान है—

मुक्त मातृभूमि को नवीन मान चाहिए।
नवीन पर्व के लिए, नवीन प्राण चाहिए।
मुक्त गीत हो रहा, नवीन राग चाहिए।
नवीन पर्व के लिए, नवीन प्राण चाहिए।

और इसलिए भारत के भविष्य को उज्ज्वल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए ।

साथियो,

एक समय था, जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत के नगरों से लेकर महलों तक, भारत के मंदिरों से लेकर मूर्तियों तक, भारत का

वास्तु, भारत की विशेषज्ञता का उद्घोष करता था। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से लेकर मौर्यकालीन स्तंभों और स्तूपों तक, चोल शासकों के बनाए भव्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक, भारत का कौशल, विश्व भर से आने वाले यात्रियों को हैरान कर देता था। लेकिन सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे हमारा ये गौरव छीन लिया। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत, बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत, अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत, प्राचीन काल की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है। और संसद की ये नई इमारत, इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है। इसमें कला भी है, कौशल भी है। इसमें संस्कृति भी है, और संविधान के स्वर भी हैं।

आप देख रहे हैं कि लोक सभा का आंतरिक हिस्सा यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्य सभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं न, वो महाराष्ट्र से आई है। यूपी में भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से, इस भवन के कण-कण में हमें 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना के दर्शन होंगे ।

साथियो,

संसद के पुराने भवन में, सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं थीं, बैठने की जगह से जुड़ी चुनौती थी। इसलिए ही बीते डेढ़ दो दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते ?

और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। और मुझे खुशी है कि ये भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। आप देख रहे हैं कि इस समय भी इस हॉल में सूरज का प्रकाश सीधे आ रहा है। बिजली कम से कम खर्च हो, हर तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स हों, इन सभी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है।

साथियो,

आज सुबह ही मैं इस संसद भवन को बनाने वाले श्रमिकों के एक समूह से मिला हूं। इस संसद भवन ने करीब 60 हजार श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बहाया है। मुझे खुशी है कि इनके श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है और विश्व में शायद ये पहली बार हुआ होगा। संसद के निर्माण में अब उनका योगदान भी अमर हो गया है।

साथियो,

कोई भी एक्सपर्ट अगर पिछले नौ वर्षों का आकलन करे तो ये पाएगा कि ये नौ साल, भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है, तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है। आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सिर ऊंचा कर रहे हैं, तो मुझे पिछले 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा की रक्षा की, उनका सिर ऊंचा कर दिया। आज जब हम इस संसद भवन में सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो मुझे संतोष है कि पिछले 9 साल में हमने गांवों को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण किया। आज जब हम इस इको–फ्रेंडली इमारत को देखकर खुश हैं, तो मुझे संतोष है कि हमने पानी की एक-एक बूंद बचाने के लिए 50 हजार से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण किया है। आज जब हम इस नए संसद भवन की लोक सभा और राज्य सभा को देखकर उत्सव मना रहे हैं तो मुझे संतोष है कि हमने देश में 30 हजार से ज्यादा नए पंचायत भवन भी बनाए हैं। यानि, पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक, हमारी निष्ठा एक ही है, हमारी प्रेरणा एक रही—देश का विकास, देश के लोगों का विकास।

साथियो,

आपको ध्यान होगा, 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कहा था—यही समय है, सही समय है। हर देश के इतिहास में ऐसा समय आता है, जब देश की चेतना नए सिरे से जागृत होती है। भारत में आजादी के 25 साल पहले, 47 के पहले 25 साल याद कीजिए, आजादी के 25 साल पहले, ऐसा ही समय आया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने पूरे देश को एक विश्वास से भर दिया था। गांधी जी ने स्वराज के संकल्प से हर भारतवासी को जोड़ दिया था। ये वो दौर था जब हर भारतीय, आजादी के लिए जी जान से जुट गया था। इसका नतीजा

हमने 1947 में भारत की आजादी के तौर पर देखा। आज़ादी का ये अमृतकाल भी भारत के इतिहास का ऐसा ही पड़ाव है। आज से 25 साल बाद, भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। हमारे पास भी 25 वर्ष का अमृत कालखंड है। इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य कठिन भी है, लेकिन हर देशवासी को आज इसके लिए जी-जान से जुटना ही है, नए प्रण लेने हैं, संकल्प लेने हैं, नई गति पकड़नी है। और इतिहास गवाह है कि हम भारतीयों का विश्वास, सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहता। हमारी आज़ादी की लड़ाई ने दुनिया के बहुत सारे देशों में उस समय एक नई चेतना जागृत कर दी थी। हमारी आज़ादी की लड़ाई से भारत तो आज़ाद हुआ ही साथ ही कई देश आज़ादी की राह पर चल पड़े। भारत के विश्वास ने, दूसरे देशों के विश्वास को सहारा दिया था। और इसलिए, भारत जैसा विविधता से भरा देश, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी सारी चुनौतियों से लड़ने वाला देश, जब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तो इससे दुनिया के अनेक देशों को प्रेरणा भी मिलती है। भारत की हर सफलता, आने वाले दिनों में दुनिया के अलग-अलग भूभाग में, अलग-अलग देशों की सफलता के रूप में प्रेरणा का कारण बनने वाली है। आज यदि भारत तेज़ी से ग़रीबी दूर करता है तो ये कई देशों को ग़रीबी से बाहर आने की प्रेरणा भी देता है। भारत का विकसित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा। इसलिए भारत की ज़िम्मेदारी और बड़ी हो जाती है।

और साथियो,

सफलता की पहली शर्त, सफल होने का विश्वास ही होती है। ये नया संसद भवन, इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है। ये विकसित भारत के निर्माण में हम सभी के लिए नई प्रेरणा बनेगा। ये संसद भवन हर भारतीय के कर्तव्य भाव को जागृत करेगा। मुझे विश्वास है, इस संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे, वे नई प्रेरणा के साथ, लोकतंत्र को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। हमें नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा—'इदं राष्ट्राय, इदं न मम' हमें कर्तव्यपथ को सर्वोपरि रखना होगा—'कर्तव्यमेव कर्तव्यं, अकर्तव्यं न कर्तव्यम' हमें अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा—'यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरो जनः'। हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा— 'उद्धरेत् आत्मना आत्मानम्' हमें अपने नए रास्ते खुद बनाने होंगे— 'अप्प दीपो भव' हमें खुद को खपाना होगा, तपाना होगा—'तपसो हि परम नास्ति, तपसा विन्दते महत' हमें लोक कल्याण को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा—'लोकहितं मम करणीयम्', जब संसद के इस नए भवन में हम अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, तो देशवासियों को भी नई प्रेरणा मिलेगी।

साथियो,

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह नई संसद एक नई ऊर्जा और नई मजबूती प्रदान करेगी। हमारे श्रमिकों ने अपने पसीने से इस संसद भवन को इतना भव्य बना दिया है। अब हम सभी सांसदों का दायित्व है कि इसे अपने समर्पण से और ज्यादा दिव्य बनाएंगे। एक राष्ट्र के रूप में हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही, इस नई संसद की प्राण–प्रतिष्ठा है। यहां होने वाला हर निर्णय, आने वाली सदियों को सजाने–संवारने वाला है। यहां होने वाला हर निर्णय, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। यहां होने वाला हर निर्णय, भारत के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेगा। गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दिव्यांग, समाज के हर वंचित परिवार के सशक्तिकरण का, वंचितों को वरीयता का रास्ता यहीं से गुजरता है। इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण-कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। अगले 25 वर्षों में संसद के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून, भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इस संसद में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। इस संसद में बनने वाले कानून, देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करेंगे। मुझे विश्वास है, संसद का यह नया भवन, नये भारत के सृजन का आधार बनेगा। एक समृद्ध सशक्त और विकसित भारत, नीति, न्याय, सत्य, मर्यादा और कर्तव्यपथ पर और सशक्त होकर चलने वाला भारत। मैं समस्त भारतवासियों को नए संसद भवन की फिर से बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

धन्यवाद !

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला का संबोधन

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला 28 मई 2023 को संसद के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर विशिष्ट सभा को संबोधित करते हुए

भारत की लोकतांत्रिक आस्था के प्रतीक हमारी संसद के इस नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह में भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, राज्य सभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, गणमान्य अतिथिगण, देवियो और सज्जनो, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं।

आज़ादी के अमृतकाल में सम्पूर्ण राष्ट्र आज इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पल का साक्षी बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं जिनके दृढ़ संकल्प और प्रेरक मार्गदर्शन से संसद का यह नया भवन ढाई वर्ष से भी कम अवधि में बनकर तैयार हुआ है। मैं उन हजारों श्रमिक भाई-बहनों को नमन करता हूं, जिनकी निरंतर श्रम साधना और कठिन परिश्रम से यह भागीरथ प्रयास पूरा हुआ है।

कोविड महामारी के कठिन समय में हमारे श्रमवीरों ने अपने कर्त्तव्यों के प्रति अद्भुत समर्पण दिखाया, जिसके कारण राष्ट्र का यह सामूहिक संकल्प सिद्ध हुआ।

जनप्रतिनिधि जनहित और सेवा भाव से काम करते हैं। पिछले सात दशकों से संसद के अंदर हमारे विद्वान नेताओं और सांसदों की उत्कृष्ट चर्चा और संवाद से जनता की

समस्याओं का समाधान किया गया है। कई महत्वपूर्ण कानून भी बनाए गए, जिनसे लोगों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। हमारा लोकतंत्र और अधिक सशक्त हुआ है। इस अवसर पर मैं उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूं।

लोक सभा में मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा बढ़ाने में समर्पित भाव से योगदान दिया, उनके प्रति मैं साधुवाद व्यक्त करता हूं।

भारत विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र है। सम्पूर्ण विश्व में लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारी पहचान है।

संसदीय लोकतंत्र की इस यात्रा में हमने सदनों में अच्छी परम्पराएं और परिपाटियाँ स्थापित की हैं। हमारी निर्वाचन प्रक्रिया के कुशल, पारदर्शी एवं विश्वसनीय प्रबंधन के कारण लोगों का विश्वास लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है। इस अमृतकाल में भारत की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है।

आज लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ-साथ वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए विश्व भारत की ओर देखता है। भारत की संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च केन्द्र है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की बढ़ती भागीदारी इस सत्य को रेखांकित करती है।

लोकतंत्र हमारे इतिहास की बहुमूल्य धरोहर है। लोकतंत्र हमारे वर्तमान की ताकत है और लोकतंत्र हमारे स्वर्णिम भविष्य का आधार है।

हमारी संसद घरेलू और वैश्विक चुनौतियों को अवसर में बदलने का सामर्थ्य रखती है। विविधता में एकता भारत की शक्ति है।

यह शक्ति संसद में भी दृष्टिगत होती है, जहां क्षेत्रीय तथा विचारधाराओं की भिन्नता के बावजूद सांसदगण राष्ट्रहित के विषयों पर एक स्वर में अपनी बात रखते हैं। यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है।

भारत की संसद इस प्राचीन राष्ट्र की गौरवपूर्ण लोकतांत्रिक विरासत की कस्टोडियन है। हमारा वर्तमान संसद भवन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तथा संविधान निर्माण से लेकर अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। इसलिए अपनी इस अनमोल धरोहर को संभालकर रखना भी हमारा दायित्व है।

पिछले वर्षों में पक्ष-विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कई अवसरों पर संसद के नए भवन के निर्माण की आवश्यकताओं को महसूस किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सभा और लोक सभा, दोनों सदनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से संसद का नया भवन बनाने का आग्रह किया था।

मैं प्रधानमंत्री जी का पुन: आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस आग्रह को तत्काल स्वीकार किया और इतने कम समय में इसको साकार भी कर दिया।

हमारे इतिहास की एक महत्वपूर्ण धरोहर सेंगोल को अध्यक्षपीठ के समीप स्थापित कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक परम्पराओं के सम्मान एवं न्यायपूर्ण एवं निष्पक्ष शासन के प्रति अपने संकल्प को दोहराया है।

यह नवनिर्मित भवन हमारी समृद्ध संस्कृति, प्राचीन विरासत एवं आधुनिक आकांक्षाओं का अद्भुत संगम है। नए भवन में माननीय सदस्यगण नई तकनीकी, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी कार्य कुशलता को बढ़ा पाएंगे। नए वातावरण में नए विचारों का सृजन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे नए भवन में ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, ग्रीन टेक्नोलॉजी, पर्यावरण अनुकूलता की विशिष्टता का समागम है।

यह भवन वास्तु, शिल्प, कला व संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। इसमें संपूर्ण भारत की उत्कृष्ट व विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होंगे। इस भवन में प्रत्येक भारतीय को अपने-अपने राज्य की संस्कृति की झलक भी दिखेगी। इसलिए मेरा माननीय सांसद मित्रों से अनुरोध है कि जब हम संसद के नए संसद भवन में प्रवेश करें तो नए संकल्प के साथ प्रवेश करें।

हम लोकतंत्र की अच्छी परम्पराओं को आगे बढ़ाएं। हम संसदीय अनुशासन, मर्यादा और गरिमा के मानदंड स्थापित करें ताकि विश्व की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए भारत की लोकतांत्रिक संस्था आदर्श बन सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नए वातावरण में हम सब मिलकर अधिक ऊर्जा के साथ, रचनात्मक व सकारात्मक चर्चा के माध्यम से एक श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण कर सकेंगे।

संसदीय घटनाक्रम तथा कार्यकलाप
सम्मेलन और संगोष्ठियां

विश्व व्यापार संगठन (पीसीडब्ल्यूटीओ) संबंधी संसदीय सम्मेलन की संचालन समिति के 51वें सत्र की बैठक: डब्ल्यूटीओ (पीसीडब्ल्यूटीओ) संबंधी संसदीय सम्मेलन की संचालन समिति के 51वें सत्र की बैठक 27 अप्रैल 2023 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित की गई थी। लोक सभा सदस्य और पीसीडब्ल्यूटीओ की संचालन समिति के सदस्य श्री राजीव प्रताप रूडी ने उपर्युक्त बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान, प्रतिभागियों ने विश्व व्यापार संगठन में हाल के घटनाक्रमों के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त की और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में संसदों की भूमिका के बारे में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर विचार साझा किए।

आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने संबंधी आईपीयू के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह की 14वीं बैठक: आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने सम्बन्धी आईपीयू के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह की 14वीं बैठक 11 मई 2023 को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित की गई थी। श्रीमती सुमलता अम्बरीश, सदस्य, लोक सभा और आतंकवाद तथा हिंसक अतिवाद का मुकाबला करने संबंधी आईपीयू के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह की सदस्य ने उपरोक्त बैठक में भाग लिया।

एशियाई संसदीय सभा (एपीए) की आर्थिक मामलों और सतत् विकास संबंधी स्थायी समिति की बैठक: आर्थिक मामलों और सतत् विकास संबंधी एपीए की स्थायी समिति की बैठक मनामा (बहरीन) में 16 से 17 मई 2023 तक आयोजित की गई थी। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल (आईपीडी) जिसमें राज्य सभा सदस्य श्री जयंत चौधरी और लोक सभा के सदस्य श्री बृजेन्द्र सिंह शामिल थे, ने पूर्वोक्त बैठक में भाग लिया। उपर्युक्त बैठक के दौरान, पर्यावरण, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, एसडीजी की उपलब्धि, जल और स्वच्छता, और हरित वित्त के मुद्दों से संबंधित कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

अंतर–धार्मिक वार्ता संबंधी संसदीय सम्मेलन: 13 से 15 जून 2023 तक मोरक्को के मारकेश में अंतरधार्मिक वार्ता संबंधी एक संसदीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

सम्मेलन संयुक्त रूप से अंतर संसदीय संघ (आईपीयू) और मोरक्को साम्राज्य की संसद द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन के दौरान, "संसदें और धार्मिक नेता: चर्चा को बढ़ावा देना, साझे भविष्य के लिए एकजुट हो कर प्रयास करना" विषय पर एक सामान्य चर्चा का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान विधिसम्मत शासन और शांति तथा समावेशन संबंधी विषयों पर विभिन्न पैनल चर्चाएं भी आयोजित की गईं। श्री घनश्याम तिवारी, सदस्य, राज्य सभा उपर्युक्त सम्मेलन में उपस्थित हुए और उन्होंने उपर्युक्त सामान्य और पैनल चर्चाओं में भाग लिया। सम्मेलन के अंत में, एक परिणामी दस्तावेज, अर्थात् "मारकेश आधिकारिक विज्ञप्ति" को अंगीकार किया गया।

पर्यावरण और विकास संबंधी एशिया प्रशांत सांसदों के सम्मेलन की 20वीं महासभा (एपीपीसीईडी): पर्यावरण और विकास सम्बन्धी एशिया प्रशांत सांसदों के सम्मेलन (एपीपीसीईडी) की 20वीं महासभा 14 से 15 जून 2023 तक सियोल, कोरिया गणराज्य में आयोजित की गई थी। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल नामतः श्री प्रभाकर रेड्डी वेमीरेड्डी, सदस्य, राज्य सभा और डॉ. जयंत कुमार राय, सदस्य, लोक सभा ने उपर्युक्त सभा में भाग लिया। सभा का समग्र विषय जलवायु परिवर्तन और हरित विकास संबंधी रणनीतियां था। सम्मेलन के समापन पर, एक परिणामी दस्तावेज, अर्थात् "सियोल घोषणा पत्र" अंगीकृत किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून संबंधी आईपीयू समिति की असाधारण बैठक: अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून संबंधी आईपीयू समिति की एक असाधारण बैठक 16 जून 2023 को वर्चुअल मोड में संपन्न हुई। राज्य सभा के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून समिति संबंधी आईपीयू की समिति के सदस्य डॉ. सस्मित पात्रा ने बैठक में भाग लिया।

सतत् विकास संबंधी आईपीयू की द्वितीय स्थायी समिति के सह–प्रतिवेदकों की बैठक: सतत् विकास संबंधी आईपीयू की स्थायी समिति द्वारा जलवायु कार्यवाही संबंधी साझेदारी: सस्ती हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना तथा जिम्मेदारी, समानता और नवाचार सुनिश्चित करना विषय पर समिति द्वारा तैयार प्रारूप संकल्प के संदर्भ में विशेषज्ञों के विचार जानने के लिए 16 जून 2023 को वर्चुअल माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया गया। राज्य सभा के सदस्य और उपरोक्त संकल्प का मसौदा तैयार करने वाले सह-प्रतिवेदकों में से एक डॉ. सस्मित पात्रा ने बैठक में भाग लिया।

आईपीयू के एशिया प्रशांत भू–राजनीतिक समूह का वेबिनार: आईपीयू के एशिया प्रशांत भू-राजनीतिक समूह के वर्तमान अध्यक्ष, ऑस्ट्रेलिया की संसद ने 28 जून 2023 को एशिया प्रशांत क्षेत्र में संसदों के कार्यकरण में युवाओं को शामिल करने संबंधी विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। डॉ. सस्मित पात्रा ने इस वेबिनार में भाग लिया।

आईपीयू की कार्यकारिणी समिति का 290वां सत्र: आईपीयू की कार्यकारिणी समिति का 290वां सत्र 28 से 30 जून 2023 तक लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित किया गया। लोक सभा सदस्य और आईपीयू की कार्यकारिणी समिति की सदस्या श्रीमती अपराजिता सारंगी ने सत्र में भाग लिया।

30 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस का समारोह: आईपीयू के स्थापना दिवस को मनाने के लिए आईपीयू सदस्य संसदों द्वारा हर वर्ष 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस का विषय विश्व के लिए संसदें: जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यवाही के लिए संसदों को एकजुट करने पर केंद्रित था। इस अवसर पर माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने 'हरित संसद' पर हिन्दुस्तान टाइम्स में एक लेख लिखा था। लेख पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने में संसदों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर केंद्रित है। लेख को आईपीयू समाचार अनुभाग के अंतर्गत आईपीयू वेबसाइट पर कवरेज भी मिला।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) की कार्यकारिणी समिति की मध्य-वार्षिक बैठक: भारत के संसदीय शिष्टमंडल, अर्थात् श्री उदय प्रताप सिंह, सदस्य, लोक सभा; श्री बिस्वजीत दैमारी, अध्यक्ष, असम विधान सभा; और श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण, अध्यक्ष, उत्तराखंड विधानसभा, जो सीपीए भारत क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, ने 17 से 20 अप्रैल 2023 तक सीपीए जिब्राल्टर शाखा द्वारा आयोजित सीपीए कार्यकारिणी समिति की मध्य-वर्षीय बैठक में भाग लिया।

18 अप्रैल 2023 को, श्री उदय प्रताप सिंह और श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण ने वित्त सम्बन्धी उप-समिति की बैठक में भाग लिया। श्री बिस्वजीत दैमारी ने योजना और समीक्षा सम्बन्धी उप-समिति की बैठक में भाग लिया। क्षेत्रीय सचिवों की बैठक में लोक सभा सचिवालय के निदेशक डॉ. युमनाम अरुण कुमार सीपीए भारत क्षेत्र के लिए वैकल्पिक क्षेत्रीय सचिव के रूप में शामिल हुए।

सीपीए की कार्यकारिणी समिति की मध्य वार्षिक बैठक में सीपीए से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीपीए की स्थिति और सीपीए मुख्यालय सचिवालय का संभावित स्थानांतरण; सीपीए सदस्यता शुल्क में वृद्धि; सीपीसी की रूपरेखा; सीपीए यात्रा नीति; आदि शामिल है। बैठकों में 30 सितंबर से 6 अक्तूबर 2023 तक घाना के अकरा में आगामी 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (सीपीसी) की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मानवाधिकारों संबंधी सीपीए कार्य समूह की वर्चुअल बैठक: मानवाधिकार संबंधी सीपीए कार्य समूह की बैठक 14 जून 2023 को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित की गई। लोक सभा सदस्य और सीपीए भारत क्षेत्र के कार्यकारिणी समूह के सदस्य श्री जामयांग सेरिंग नामग्याल ने बैठक में भाग लिया। बैठक का आयोजन जुलाई 2022 से सीपीए के मानवाधिकार संबंधी कार्य समूह की प्रगति के बारे में अध्ययन जानकारी साझा करने के उद्देश्य से किया गया था। सीपीए के महासचिव श्री स्टीफन ट्विग ने मानवाधिकारों से संबंधित संसदीय अकादमी पाठ्यक्रम के बारे में समग्र जानकारी प्रदान की जो मानवाधिकारों का समर्थन करने तथा उन्हें और सुदृढ़ करने में संसदों और सांसदों की भूमिका पर केंद्रित है। उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रमंडल में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए अकरा, घाना में अक्तूबर 2023 की शुरुआत में आयोजित होने वाले 66वें सीपीसी के दौरान मानवाधिकार संबंधी एक कार्यशाला आयोजित करने की योजना है।

राष्ट्रीय नेताओं की जयंती

संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में जिन राष्ट्रीय नेताओं के चित्र सुशोभित हैं उनकी जयंती के अवसर पर और लोक सभा के पूर्व अध्यक्षों की जयंती के अवसर पर भारतीय संसदीय समूह (आईपीजी) के तत्वावधान में उन नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर लोक सभा सचिवालय ग्रन्थागार तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) द्वारा इन नेताओं के जीवन–वृत्त पर तैयार की गई पुस्तिकाएं वितरित की जाती हैं।

1 अप्रैल से 30 जून 2023 की अवधि के दौरान निम्नलिखित नेताओं की जयंती मनाई गई:

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2023 को संसद भवन में एक समारोह आयोजित किया गया। माननीय अध्यक्ष,

लोक सभा, श्री ओम बिरला; केन्द्रीय मंत्री, श्री भूपेन्द्र यादव; राज्य सभा में विपक्ष के नेता, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे; राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल; राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश और अन्य संसद सदस्यों ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

पंडित मोतीलाल नेहरू: पंडित मोतीलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर 6 मई 2023 को संसद भवन में एक समारोह आयोजित किया गया। शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री, डॉ. राजकुमार रंजन सिंह; संसद सदस्यों और पूर्व संसद सदस्यों ने पंडित मोतीलाल नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर: गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर 9 मई 2023 को संसद भवन में एक समारोह आयोजित किया गया। माननीय अध्यक्ष, लोक सभा, श्री ओम बिरला; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा; संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

डॉ. नीलम संजीव रेड्डी: डॉ. नीलम संजीव रेड्डी की जयंती के अवसर पर 19 मई 2023 को संसद भवन में एक समारोह आयोजित किया गया। माननीय अध्यक्ष, लोक सभा, श्री ओम बिरला; राज्य सभा के उपसभापति श्री हरिवंश तथा अन्य संसद सदस्यों ने डॉ. नीलम संजीव रेड्डी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की ।

श्री के. एस. हेगड़े: श्री के. एस. हेगड़े की जयंती के अवसर पर 11 जून 2023 को संसद भवन में एक समारोह आयोजित किया गया। संसद सदस्यों ने श्री के. एस. हेगड़े के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड)

1 अप्रैल से 30 जून 2023 की अवधि के दौरान, संसदीय लोकतंत्र शोध और प्रशिक्षण संस्थान(प्राइड) ने सदस्यों/शिष्टमंडलों/परिवीक्षार्थियों/गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/समारोह आयोजित किए:

(एक) राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम: (एक) नागालैंड विधान सभा के पैंतालीस सदस्य; (दो) मेघालय विधान सभा के 54 सदस्य; और

(तीन) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के बीस सदस्यों ने क्रमशः 25 से 26 अप्रैल 2023; 2 से 4 मई 2023; और 10 से 12 मई 2023 तक प्राइड द्वारा आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में भाग लिया।

(दो) अपने नेता को जानें—राष्ट्रीय नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिये संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पण कार्यक्रम: राष्ट्रीय नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिये 14 अप्रैल, 2023 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर को और 9 मई 2023 को गुरूदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित "अपने नेता को जानें– युवाओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पण कार्यक्रम" में छह सौ पैंतीस युवाओं ने भाग लिया।

(तीन) समझ संसद की: आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाये जा रहे "आजादी के अमृत महोत्सव" के अन्तर्गत प्राइड द्वारा राजस्थान के कोटा और बूंदी जिले के छात्रों के लिये "अपनी संसद को जानें (केवाईपी)– समझ संसद की" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, उपर्युक्त कार्यक्रम के लिये चयनित सात सौ इक्कीस छात्रों/विजेताओं (I से VI बैच) को 30 अप्रैल से 2 मई; 1 से 3 मई; 9 से 11 मई; 10 से 12 मई; 14 से 16 मई; और 15 से 17 मई 2023 तक संसद का अध्ययन दौरा करने हेतु आमंत्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, 12 मई 2023 को हरियाणा के करनाल जिले के 64 प्रतिभागियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

(चार) जिला परिषद के जन प्रतिनिधियों हेतु परिचय कार्यक्रम: 7 जून 2023 को हरियाणा के पानीपत और करनाल जिलों की जिला परिषद के 80 नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों ने प्राइड द्वारा आयोजित परिचय कार्यक्रम में भाग लिया।

(पांच) परिबोधन कार्यक्रम: संसदीय प्रक्रियाएं और पद्धतियां संबंधी दो परिबोधन कार्यक्रम आयोजित किए गए: (1) 24 से 25 अप्रैल 2023 तक आयोजित संसदीय प्रक्रियाएं और पद्धतियां संबंधी परिबोधन कार्यक्रम में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा (आईआरपीएफएस) के बत्तीस परिवीक्षाधीन अधिकारियों; भारतीय रक्षा संपदा सेवा (आईडीईएस); भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई); और संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) ने भाग लिया; और (2) 15 से 16 जून, 2023 तक आयोजित संसदीय प्रक्रियाएं और पद्धतियां संबंधी परिबोधन कार्यक्रम में भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरटीएस) के बत्तीस परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने भाग लिया।

(छह) इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी): 7 जून 2023 को आयोजित इंडक्शन

प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) में 2022 बैच के 39 आईएफएस प्रशिक्षु अधिकारियों ने भाग लिया।

(सात) लोक सभा/राज्य सभा और राज्य विधान मंडल सचिवालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम: (1) मैसेंजर सेवा और स्टाफ कार चालक सेवा (बैच I से V) हेतु 17 से 21 अप्रैल 2023 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक सभा सचिवालय के चार सौ छियासठ कर्मचारियों ने भाग लिया; (2) लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मंडल सचिवालयों के छियालीस अधिकारियों ने 26 से 28 अप्रैल 2023 तक समितियों के प्रतिवेदन तैयार करने और समिति प्रबंधन में क्षमता निर्माण संबंधी कार्यक्रम में भाग लिया; (3) 8 मई 2023 को आचरण एवं कार्य नीति तथा संसद के नए भवन—परिचय संबंधी विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक सभा सचिवालय के 150 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया; (4) 10 से 12 मई 2023 तक प्रश्न, विधायी और बजटीय प्रक्रिया संबंधी कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मंडल सचिवालयों के चालीस अधिकारियों ने भाग लिया; (5) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) द्वारा संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के समन्वय से 15 से 26 मई 2023 तक आयोजित विधायी प्रारूपण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों (केंद्र और राज्य), लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय और राज्य विधान सभाओं के सचिवालय के एक सौ पचास अधिकारियों ने भाग लिया; (6) 15 से 19 मई 2023 तक ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद (आईआरएमए आणंद), गुजरात में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक सभा सचिवालय के तैंतीस पदोन्नत कार्यकारी अधिकारियों/अनुसंधान अधिकारियों ने भाग लिया; (7) 22 से 26 मई 2023 तक राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी), नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक सभा सचिवालय के 84 पदोन्नत कार्यकारी अधिकारियों/अनुसंधान अधिकारियों ने भाग लिया; (8) 29 मई से 2 जून 2023 तक तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित डॉ. एमसीआर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ तेलंगाना में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक सभा सचिवालय के तैंतीस पदोन्नत कार्यकारी अधिकारियों/अनुसंधान अधिकारियों ने भाग लिया; (9) 5 से 9 जून 2023 तक ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद, (आईआरएमए आणंद), गुजरात में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक सभा सचिवालय के चौंतीस पदोन्नत कार्यकारी

अधिकारियों/अनुसंधान अधिकारियों ने भाग लिया; (10) 12 से 16 जून और 19 से 23 जून 2023 तक एमएस-एक्सेल और एमएस पावर प्वाइंट संबंधी आयोजित ऑनलाइन कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक सभा सचिवालय के एक सौ तीन अधिकारियों ने भाग लिया; (11) 14 से 16 जून 2023 तक शोध, संदर्भ, सूचना और ग्रंथालय सेवा प्रदान करने वाले अधिकारियों के लिए आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मंडल सचिवालयों के सोलह अधिकारियों ने भाग लिया; (12) 21 से 23 जून 2023 तक प्राइड द्वारा संपादन और अनुवाद सेवा के लिए आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मंडल सचिवालयों के इक्कीस अधिकारियों ने भाग लिया; और (13) 26 से 28 जून 2023 तक प्राइड द्वारा नवाचार (प्रोटोकॉल), समन्वय और संपर्क सेवा के अधिकारियों के लिए आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मंडल सचिवालयों के तीस अधिकारियों ने भाग लिया।

(आठ) लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए चिंतन शिविर: 24 से 25 अप्रैल और 18 से 19 मई 2023 तक आयोजित चिंतन शिविर में लोक सभा सचिवालय और संबद्ध एजेंसियों के चार सौ उनचास अधिकारियों ने भाग लिया।

(नौ) अध्ययन दौरे (अंतर्राष्ट्रीय) (क): (एक) 5 अप्रैल 2023 को दक्षिण सूडान के नेताओं और सदस्यों के तेरह सदस्यीय शिष्टमंडल ने अध्ययन दौरे में भाग लिया; (दो) 12 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्रालय (एमईए), नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित हुडको के ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (एचएसएमआई), नई दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 19 देशों के 33 विदेशी पेशेवरों ने अध्ययन दौरे में भाग लिया; (तीन) 16 मई 2023 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर), नई दिल्ली के जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के अंतर्गत विभिन्न देशों के चालीस प्रतिभागियों ने अध्ययन दौरे में भाग लिया; (चार) 17 से 19 मई 2023 तक घाना की संसद के आठ अधिकारियों ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया; (पांच) 25 मई 2023 को जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डीसी, यूएसए के अड़तीस छात्रों/संकाय–सदस्यों ने अध्ययन दौरे में भाग लिया; और (छह) 3, 17 और 31 मई, 14 और 28 जून 2023 को एनसीजीजी, मसूरी, उत्तराखंड में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले बांग्लादेश के दो सौ उनतीस सिविल सेवकों ने अध्ययन दौरे में भाग लिया।

अध्ययन दौरे (राष्ट्रीय) (ख): इस अवधि के दौरान 44 अध्ययन दौरे (राष्ट्रीय) संपन्न हुए।

संसद सदस्य संदर्भ सेवा

संसद सदस्य संदर्भ सेवा मुख्य रूप से संसद सदस्यों के दैनिक संसदीय कार्य से संबंधित सूचनाओं की आवश्यकता की पूर्ति करती है। यह सेवा सभा के समक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण मुद्दों और विधेयकों/अध्यादेशों पर संदर्भ टिप्पण और विधायी टिप्पण प्रकाशित करती है।

1 अप्रैल से 30 जून 2023 की अवधि के दौरान, माननीय संसद सदस्यों से कुल 188 संदर्भ, 145 संदर्भ ऑफ़लाइन और 43 संदर्भ ऑनलाइन अनुरोध प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया। तीन संदर्भ टिप्पण तैयार किए गए जिन्हें लोक सभा की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ पोर्टल के माध्यम से माननीय सदस्यों के साथ साझा किया गया।

संसदीय और संवैधानिक घटनाक्रम
(1 अप्रैल से 30 जून 2023)

इस स्तंभ में शामिल घटनाक्रम मुख्य रूप से संघ और राज्य विधानमंडलों, भारत के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइटों और दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों सहित पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। अतः इनके सटीक, प्रामाणिक या सत्य होने या न होने के लिए लोक सभा सचिवालय उत्तरदायी नहीं है।

भारत

संघ का घटनाक्रम

राज्य सभा सदस्य का इस्तीफा: 11 अप्रैल 2023 को पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य श्री लुइजिन्हो जोकिम फलेरियो ने त्यागपत्र दे दिया।

लोक सभा उपचुनाव का परिणाम: 10 मई 2023 को जालंधर, पंजाब लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हुए। 13 मई 2023 को परिणाम घोषित किए गए। आम आदमी पार्टी के श्री सुशील कुमार रिंकू को विजयी घोषित किया गया।

मंत्रिमंडल में फेरबदल: 18 मई 2023 को, श्री किरेन रिजिजू और प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल को क्रमशः पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री का पदभार पुनः सौंपा गया। श्री अर्जुन राम मेघवाल को विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

लोक सभा सदस्य का निधन: 30 मई 2023 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य, श्री बालूभाऊ *उर्फ* सुरेश नारायण धानोरकर का निधन हो गया।

राज्य सभा सदस्य का निधन: 26 जून 2023 को उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, श्री हरद्वार दुबे का निधन हो गया।

राज्यों के घटनाक्रम

बिहार

नए मंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 16 जून 2023 को राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने नव-नियुक्त मंत्री, श्री रत्नेश सदा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

दिल्ली

मंत्रिमंडल में फेरबदल: 30 जून 2023 को कैबिनेट मंत्री, सुश्री आतिशी को वित्त, राजस्व और योजना विभागों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

कर्नाटक

विधान सभा चुनाव का परिणाम: 10 मई 2023 को 224 सीटों वाली कर्नाटक विधान सभा के चुनाव संपन्न हुए। 13 मई 2023 को परिणाम घोषित किए गए। चुनावों के बाद दलगत स्थिति इस प्रकार रही:

दल का नाम	सीट
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	135
भारतीय जनता पार्टी	66
जनता दल (सेक्युलर)	19
कल्याण राज्य प्रगति पक्ष	1
सर्वोदय कर्नाटक पक्ष	1
निर्दलीय	2
कुल	224

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 20 मई 2023 को सर्वश्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने क्रमशः मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उनके साथ आठ मंत्रियों, नामतः सर्वश्री के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, सतीश जराकिहोली, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी, बी.जेड. जमीर अहमद खान और डॉ. जी. परमेश्वर ने भी शपथ ग्रहण की।

नए अध्यक्ष की नियुक्ति: 24 मई 2023 को श्री यू.टी. खादर को कर्नाटक विधान सभा का अध्यक्ष चुना गया।

नए मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण: 27 मई 2023 को राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत ने 24 नए मंत्रियों नामतः सर्वश्री एच.के. पाटिल, कृष्णा बायरेगौड़ा, एन. चेलुवरयास्वामी, के. वेंकटेश, ईश्वर खांडरे, दिनेश गुंडू राव, क्याथासांद्रा एन. राजन्ना, शरणबसप्पा दर्शनापुर, शिवानंद पाटिल, थिम्मापुर रामप्पा बलप्पा, एस.एस. मल्लिकार्जुन, तंगदागी शिवराज संगप्पा, मनकल वैद्य, रहीम खान, डी. सुधाकर, संतोष एस. लाड, एन.एस. बोसराजू,

सुरेशा बी.एस., मधु बंगारप्पा, बी. नागेंद्र, डॉ. एच.सी. महादेवप्पा, डॉ. शरणप्रकाश रुद्रप्पा पाटिल, डॉ. एम.सी. सुधाकर और श्रीमती लक्ष्मी आर. हेब्बालकर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

मेघालय

विधान सभा उपचुनाव का परिणाम: 13 मई 2023 को हुए उपचुनाव में सोहियांग विधान सभा क्षेत्र से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के श्री सिंशर कुपर रॉय लिंगदोह थाबा को विजयी घोषित किया गया।

ओडिशा

विधान सभा उपचुनाव का परिणाम: 13 मई 2023 को हुए उपचुनाव में झारसुगुड़ा विधान सभा क्षेत्र से बीजू जनता दल की सुश्री दीपाली दास को विजयी घोषित किया गया।

नए मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण: 22 मई 2023 को राज्यपाल श्री गणेशी लाल ने तीन नए मंत्रियों, सर्वश्री बिक्रम केशरी अरुखा, सुदाम मरांडी और शारदा प्रसाद नायक को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

पंजाब

नए मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण: 31 मई 2023 को राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित ने दो नए मंत्रियों, सर्वश्री गुरमीत सिंह खुदियान और बलकार सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

उत्तर प्रदेश

विधान सभा उपचुनाव का परिणाम: 10 मई 2023 को छानबे और स्वार विधान सभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए। 13 मई 2023 को परिणाम घोषित किए गए। अपना दल सोनेलाल की सदस्य श्रीमती रिंकी कोल और श्री शफीक अहमद अंसारी को क्रमशः छानबे और स्वार विधान सभा क्षेत्र से विजयी घोषित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

बांग्लादेश

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 24 अप्रैल 2023 को श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की।

बुल्गारिया

प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 6 जून 2023 को श्री निकोले डेनकोव ने बुल्गारिया के प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

ग्रीस

प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 26 जून 2023 को श्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

मोंटेनेग्रो

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 20 मई 2023 को श्री जाकोव मिलाटोविक ने मोंटेनेग्रो के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की।

नाइजीरिया

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 29 मई 2023 को श्री बोला टिनुबू ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की।

सिएरा लियोन

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 27 जून 2023 को श्री जूलियस माडा बायो ने सिएरा लियोन के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण की।

तुर्किये गणराज्य

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 3 जून 2023 को श्री रेसेप तईप एर्दोगन ने तुर्किये गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण की।

संसदीय रुचि का नवीनतम साहित्य

एक. पुस्तकें

भारत. *सूचना और प्रसारण मंत्रालय रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग: ए क्रॉनिकल ऑफ़ द वाईस प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया, श्री एम. वेंकैया नायडू फोर्थ इयर इन ऑफिस (नई दिल्ली: सूचना और प्रसारण मंत्रालय), 2021*

अली, अमीर, ब्रेक्जिट और लिबरल डेमोक्रेसी (ऑक्सन:रौतलेज), 2022

अंसारी, एम. हामिद, चैलेंज टू ए लिबरल पालिटी: ह्यूमन राइट्स, सिटीजनशिप एंड आईडेंटिटी (गुरुग्राम: पेंगुइन विकिंग), 2022

बेइत्ज़ेल, टेरी, एड., रिफ्लेक्शन ऑन महात्मा गांधी: द ग्लोबल पर्सपेक्टिव (जयपुर: रावत पब्लिकेशन), 2021

भूटानी, राजीव, आत्मनिर्भर भारत (सेल्फ रिलायंट इंडिया): चैलेंजेज एंड ऑपर्च्युनिटी (नई दिल्ली पेंटागन प्रेस), 2020

चक्रवर्ती, विद्युत, पॉलिटिक्स, आईडियोलॉजी एंड नेशनलिज्म: जिन्ना, सावरकर एंड अंबेडकर वर्सेज गांधी (नई दिल्ली: सागा पब्लिकेशन), 2020

चौधरी, सर्बानी रॉय, एड, इंडिया–जापान रिलेशन @70: बिल्डिंग बियोंड द बाईलेटरल (नई दिल्ली: केडब्ल्यू पब्लिशर्स), 2022

क्लेरी, क्रिस्टोफर, द डिफिकल्ट पॉलिटिक्स ऑफ़ पीस: राइवलरी इन मॉडर्न साउथ एशिया न्यूयॉर्क ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस), 2022

कॉनर्दी, पीटर, हू लॉस्ट रसिया?: फ्रॉम द कॉलेप्स ऑफ द यूएसएसआर टू पुतिनस वॉर ऑन यूक्रेन (लंदन: वनवर्ल्ड पब्लिकेशन), 2017

हंसारिया, विजय, द क्रॉनिकल्स ऑफ़ इंडियन कांस्टीट्यूशन (नई दिल्ली: मोहनलाल हाउस पब्लिशिंग), 2019

कल्याण कुमार, नेताजी: इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स (गुरुग्राम: गरुड़ प्रकाशन), 2020

किदवई, रशीद, लीडर्स, पॉलीटिसियंस, सिटीजंस: फिफ्टी फिगर्स हू इनफ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स (गुरुग्राम: हैशेट बुक पब्लिशिंग इंडिया), 2022

नैयर, कुलदीप, ऑन लीडर्स एंड आइकंस: फ्रॉम जिन्ना टू मोदी (नई दिल्ली: स्पीकिंग टाइगर), 2019

प्रधान, कईनी, रेन्स एंड द राज: पेन एंड द स्वोर्ड (गुरुग्राम: पेंगुइन वाइकिंग), 2022

रामागुंडम, राहुल, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ़ जॉर्ज फर्नांडिस (गुरुग्राम: पेंगुइन रेंडम हाउस), 2022

रॉय, मानस, एड, स्टेट ऑफ़ डेमोक्रेसी इन इंडिया: एसेज ऑन लाइफ एंड पॉलिटिक्स इन कंटेंपरेरी टाइम्स (दिल्ली: प्राइमस बुक्स), 2022

सरण, श्याम, हाऊ चीन सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड (नई दिल्ली: जगरनोट बुक्स), 2022

सेशन, टी एन, थ्रू द ब्रोकन ग्लास: एन ऑटोबायोग्राफी (नई दिल्ली: रूपा पब्लिकेशंस), 2023

शर्मा, आनंद, एड, रिमेंबरिंग जवाहरलाल नेहरू (नई दिल्ली: एकेडमिक फाउंडेशन), 2016

शास्त्री, संदीप, एड, इलेक्टरल डायनॉमिक्स इन द स्टेट्स ऑफ़ इंडिया (ऑक्सन: रौतलेज), 2022

श्रीनिवासराजू, सुगत, फुररोस इन ए फील्ड: द अनएक्सप्लॉरड लाइफ ऑफ एचडी देवगौड़ा (गुरुग्राम: विंटेज), 2021

विजय, तरुण, एड, द वेरियर डेमोक्रेटिक श्यामा प्रसाद मुखर्जी (नई दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ़ इनफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग), 2021

दो. आलेख

"बैटल ऑफ़ बिलॉन्गिंग", इंडिया टुडे (नई दिल्ली), खंड 48, सं. 14, 3 अप्रैल 2023, पृ. 22

"मैन ऑफ़ द मोमेंट", इंडिया टुडे (नई दिल्ली), खंड 48, सं. 14, 3 अप्रैल 2023, पृ. 14-17

"मॉनयूमेंटल मोदी" इकोनॉमिस्ट (लंदन), खंड 447, सं. 9349, 3–9 जून 2023, पृ. 18

"नॉन एलाइनमेंट नॉन–नेगोशिएबल" इकोनॉमिस्ट (लंदन), खंड 447, सं. 9351, 17–23 जून 2023, पृ. 18; 20

"ऑन द राइट टेबल" इंडिया टुडे (नई दिल्ली), खंड 48, सं. 14, 3 अप्रैल 2023, पृ. 40

"टू गुड़ टू रिफ्यूज" इकोनॉमिस्ट (लंदन), खंड 447, सं. 9351, 17–23 जून 2023, पृ.18;20

"ट्रांसफॉर्मिंग जस्टिस", इंडिया टुडे (नई दिल्ली) खंड 48, सं. 14, 3 अप्रैल 2023, पृ. 32

"व्हाई इज मोदी सो पापुलर" इकोनॉमिस्ट (लंदन), खंड 447, सं. 9351, 17–23 जून 2023, पृ. 20

बाजपेई, अरुणोदय, "इंडियाज जी20 प्रेसीडेंसी: ऑपर्च्यूनिटीज एंड चैलेंजेज", वर्ल्ड फोकस (दिल्ली), खंड 44, सं. 521, मई 2023, पृ. 19-25

बरुआ, संजीब कुमार, "ट्रिकी इंब्रेस" वीक (कोच्चि), खंड 41, सं. 26, 25 जून 2023, पृ. 30-31

बेहरा, बरुण कुमार, "सेंट्रल एशिया इन द फॉरेन पॉलिसी फॉर्मूलेशन ऑफ़ इंडिया", वर्ल्ड अफेयर्स (नई दिल्ली), खंड 27, सं. 1, जनवरी–मार्च, 2023, पृ. 62-74

भगत, जवाहर, "द मिराज ऑफ आक्स: इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया", इकोनॉमिक एंड पॉलीटिकल वीकली (मुंबई), खंड 58, सं. 17, 29 अप्रैल 2023, पृ. 10-14

भास्कर, भुवन, "गुड गवर्नेंस एट ग्रासरूट लेवल", कुरुक्षेत्र (नई दिल्ली), खंड 71, सं. 6, अप्रैल 2023, पृ. 17-20

भट्टाचार्य, स्निग्धेन्दू एंड शाहिना, के.के., "इंडियाज ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज", आउटलुक (नई दिल्ली) खंड 63, सं. 16, 21 मई 2023, पृ. 28-30

बुरागा, मनोज बाबू, "इंडिया–ईयू रिलेशंस इन ए चेंजिंग स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंट: ए परसेप्शन" वर्ल्ड फोकस (दिल्ली), खंड 44, सं. 521, मई 2023, पृ. 64-68

चेंगप्पा, राज एंड अदर्स, "कांग्रेस क्वेस्ट इंडिया टुडे" (नई दिल्ली), खंड 48, सं. 22, 29 मई 2023, पृ. 18-29

शेनॉय, अनुराधा, "पॉलिटिक्स ऑफ़ ग्लोबल हेगेमनी एंड द रूसिया–यूक्रेन कनफ्लिक्ट" सोशल साइंटिस्ट (नई दिल्ली), खंड 51, सं. 4, मार्च–अप्रैल, 2023, पृ. 3-19

चौधरी, रेखा, "लद्दाखी पॉलिटिक्स सिंस द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी", इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली (मुंबई), खंड 58, सं.18, 6 मई 2023, पृ. 13-16

दास, वर्षा, "नॉन–पजेशन: द गांधियन थॉट", योजना (नई दिल्ली), खंड 67, सं. 6, जून 2023, पृ. 44-47

डेका, कौशिक एंड अदर्स, रेडीइंग फॉर फ्यूचर बैटल्स, इंडिया टुडे (नई दिल्ली), खंड 48, सं. 22, 29 मई 2023, पृ. 3134

डेका, कौशिक, "पॉलिटिक्स ऑफ़ डिसक्वालीफिकेशन" इंडिया टुडे (नई दिल्ली), खंड 48, सं. 15, 10 अप्रैल 2023, पृ. 12-16;18

डेका, कौशिक, रीस्टोरिंग बैलेंस, इंडिया टुडे (नई दिल्ली), खंड 48, सं. 24, 12 जून 2023, पृ. 55

द्विवेदी, संगीत सरिता, "जी20 एंड इंडिया: इंडियाज' क्वेस्ट विद 20 नेशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट", वर्ल्ड फोकस (दिल्ली), खंड44, सं. 521, मई 2023, पृ. 46-49

गिरिराज सिंह एम्पॉवरिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, कुरुक्षेत्र (नई दिल्ली), खंड 71, सं. 6, अप्रैल 2023, पृ. 5-9

जनार्दन, "क्राइसिस इन द इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर: ऑपर्च्युनिटीज एंड चैलेंजेज फॉर राइजिंग पावर्स", वर्ल्ड अफेयर्स (नई दिल्ली), खंड 27, सं. 2, अप्रैल–जून 2023, पृ. 10-21

जठर, ध्यानेश, "रिबेल गेट्स रियल", वीक (कोच्चि), खंड 40, सं. 21, 21 मई 2023, पृ. 72-74

जोशी, अंशु, "जी-20 एंड इंडियाज प्रेसीडेंसी: बिगनिंग ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन", वर्ल्ड फोकस (दिल्ली), खंड 44, सं. 521, मई 2023, पृ. 69-73

जोशी, मनोज, "ड्रैगन इन द रूम", फ्रंटलाइन (चेन्नई), खंड 40, सं. 9, 19 मई 2023, पृ. 55-57

क्रुम्भर, सीताराम, "इंडियाज़ जी–20 प्रेसीडेंसी: इंडियाज़ आईडेंटिकल कल्चरल एंड सिविलाइजेशन लेवरेज फॉर ग्लोबल सॉल्यूशन", वर्ल्ड फोकस (दिल्ली), खंड 44, सं. 521, मई 2023, पृ. 39-45

मिश्रा, मनोज कुमार, "रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया इंडिया: इंडियाज कंसर्न्स एंड परसेप्शन", वर्ल्ड अफेयर्स (नई दिल्ली), खंड 27, सं. 1, जनवरी–मार्च 2023, पृ. 10-31

मुखर्जी, बिपुल बिप्लव: "राइजिंग स्टेट केपीटलिज्म: ऑपर्च्युनिटी एंड चैलेंजिस फॉर इंडिया", वर्ल्ड अफेयर्स (नई दिल्ली), खंड 26, सं. 3, जुलाई–सितंबर 2022, पृ. 10-26

नाहा, अलीक, "इंडियाज मैरिटाइम डिप्लोमेसी इन द बे ऑफ़ बंगाल", वर्ल्ड अफेयर्स (नई दिल्ली), खंड 27, सं. 1, जनवरी–मार्च 2023, पृ. 46-61

नकवी, सबा, "ट्रायल एंड एरर", फ्रंटलाइन (चेन्नई), खंड 40, सं. 6, 7 अप्रैल 2023, पृ. 21-26

नटराज, वी.के. एंड प्रसाद, जी.एस. गणेश, "कर्नाटक इन इलेक्शन मोड", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (मुंबई), खंड 58, सं. 18, 6 मई 2023, पृ. 17-19

नय्यर, मंदिरा, "बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर", वीकली (कोच्चि), खंड 41, सं. 26, 25 जून 2023, पृ. 26-28

पाल, संजीत, "इंडियाज जी20 प्रेसीडेंसी: प्रोस्पेक्टस एंड चैलेंजिज इन ए चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर", वर्ल्ड फोकस (दिल्ली), खंड 44, सं. 521, मई 2023, पृ. 74-79

पांडा, स्नेहलता, "इंडिया एंड जी–20: बैलेंसिंग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इक्नॉमीज", वर्ल्ड फोकस (दिल्ली), खंड 44, सं. 521, मई 2023, पृ. 8-12

राजशेखर ऐलानगोवन "जर्नी ऑफ़ ए बिल", फ्रंटलाइन (चेन्नई), खंड 40, सं. 8, 5 मई 2023, पृ.13-17

रे चौधरी, "प्रोमा: वर्किंग एट बिकमिंग ए कम्युनिस्ट": इंस्टीट्यूशनल बिलॉन्गिंग एंड पॉलीटिकल सेल्फ मेकिंग ऑफ़ वीमेन इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सिस्ट), कॉमनवेल्थ एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स (लंदन), खंड 61, सं. 1, फरवरी 2023, पृ. 36-64

रेड्डी, सी शीला एंड रेड्डी, पी कृष्णमोहन, "रीविज़िटिंग इंडिया–आसियान हिस्टॉरिकल एंड कल्चरल लिंकेज", वर्ल्ड अफेयर्स (नई दिल्ली), खंड 27, सं. 2, अप्रैल–जून 2023, पृ. 50-61

सागर, प्रदीप आर, "आवर ऑन ग्लोबल आउटलुक", इंडिया टुडे (नई दिल्ली), खंड 48, सं. 24, 12 जून 2023, पृ. 24-25

सामंत, देबब्रत, "ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन" कुरुक्षेत्र (नई दिल्ली), खंड 71, सं. 6, अप्रैल 2023, पृ. 46-50

साहनी, प्रवीण, "हैंड इन हैंड", फोर्स (नोएडा), खंड 20, सं. 9, मई 2023, पृ. 4-9

शाक्य, सुजीव, "रीडिफाइनिंग ए रिलेशनशिप", फ्रंटलाइन (चेन्नई), खंड 40, सं. 12, 30 जून 2023, पृ. 76-79

शर्मा, प्रतुल, "एपोक मेकर", वीक (कोच्चि), खंड 41, सं. 23, 4 जून 2023, पृ. 24-32

शर्मा, प्रतुल, "इंडिया नो लॉन्गर लीज्स अस ए वेस्टर्न–स्टाइल डेमोक्रेसी", वीक

(कोच्चि), खंड 41, सं. 23, 4 जून 2023, पृ. 38-40

शर्मा, रचना, "इंडियाज जी20 प्रेसीडेंसी एंड वीमेन इन गिग इकोनॉमी", वर्ल्ड फोकस (दिल्ली), खंड 44, सं. 521, मई 2023, पृ. 88-91

सिंह, शांतेश कुमार एंड राज, रविशंकर, "इंडियाज़ जी-20 प्रेसीडेंसी: इंडियाज़ ऑपर्च्युनिटी टू शोकेस एंड बूस्ट इट्स सॉफ्ट पावर", वर्ल्ड फोकस (दिल्ली), खंड 44, सं. 521, मई 2023, पृ. 59-63

श्रीवास्तव, अमिताभ, "नीतीश प्लेज यूनिफ़ायर", इंडिया टुडे (नई दिल्ली), खंड 48, सं. 18, 1 मई 2023, पृ. 44-46

ताशी, शेरिंग, "लॉस्ट इयर्स ऑफ नाना साहिब, फ्रंटलाइन (चेन्नई), खंड 40, सं. 7, 21 अप्रैल 2023, पृ. 66-68

त्रिपाठी, इशिता जी, "ई-ग्राम स्वराज", कुरुक्षेत्र (नई दिल्ली), खंड 71, सं. 6, अप्रैल 2023, पृ. 11-15

वैष्णव, चिंतन और सुमैया यूसुफ, "न्यू डॉन फॉर द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम अंडर इंडियाज जी20 प्रेसीडेंसी", योजना (नई दिल्ली), खंड 67, सं. 4, अप्रैल 2023, पृ. 20-24

वाधवा, मंजुला, "2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट" कुरुक्षेत्र (नई दिल्ली), खंड 71, सं. 6, अप्रैल 2023, पृ. 34-38

वायट, एंड्रयू, "इंट्रोडक्शन: रिसर्चिंग पॉलीटिकल पार्टीज एट द ग्रासरूट्स इन इंडिया", (लंदन), खंड 61, सं. 1, फरवरी 2023, पृ. 30-35

परिशिष्ट एक

01 अप्रैल से 30 जून, 2023 तक लोक सभा की समितियों द्वारा किये गये कार्यों का विवरण

संसदीय समितियों का कार्यकरण

क्रम संख्या	समिति का नाम	बैठकों की सं.	रिपोर्टों की सं.
1	2	3	4
(i)	कार्य मंत्रणा समिति	–	–
(ii)	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	–	–
(iii)	महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	1	–
(iv)	प्राक्कलन समिति	4	–
(v)	आचार समिति	–	–
(vi)	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	1	–
(vii)	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (एमपीएलडीएस)	–	–
(viii)	सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति	1	12
(ix)	याचिका समिति	–	–
(x)	गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	–	–
(xi)	विशेषाधिकार समिति	2	–
(xii)	लोक लेखा समिति	6	5
(xiii)	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	7	–
(xiv)	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	5	–
(xv)	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	2	–
(xvi)	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	–	–
(xvii)	आवास समिति	–	–

1	2	3	4
(xviii)	ग्रंथालय समिति	–	–
(xix)	रेल अभिसमय समिति	–	–
(xx)	नियम समिति	–	–

संयुक्त/प्रवर समिति

क्रम संख्या	समिति का नाम	बैठकों की सं.	रिपोर्टों की सं.
(i)	लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	–	–
(ii)	संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति	1	–

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां

क्रम संख्या	समिति का नाम	बैठकों की सं.	रिपोर्टों की सं.
1	2	3	4
(i)	कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति	4	–
(ii)	रसायन और उर्वरक संबंधी समिति	2	–
(iii)	कोयला, खनन और इस्पात संबंधी समिति	–	–
(iv)	रक्षा संबंधी समिति	–	–
(v)	ऊर्जा संबंधी समिति	8	–
(vi)	विदेशी मामलों संबंधी समिति	4	1
(vii)	वित्त संबंधी समिति	4	–
(viii)	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	3	–
(ix)	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति	3	–
(x)	श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी समिति	6	–
(xi)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति	–	–

1	2	3	4
(xii)	रेल संबंधी समिति	1	–
(xiii)	ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति	2	–
(xiv)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति	1	–
(xv)	आवासन और शहरी कार्य संबंधी समिति	1	–
(xvi)	जल संसाधन संबंधी समिति	1	–

परिशिष्ट दो

01 अप्रैल से 30 जून, 2023 तक राज्य सभा की समितियों द्वारा किये गये कार्यों को दर्शाने वाला विवरण

संसदीय समितियों का कार्यकरण

क्रम संख्या	समिति का नाम	बैठकों की सं.	रिपोर्टों की सं.
1	2	3	4
(i)	कार्य मंत्रणा समिति	–	–
(ii)	आचार समिति	–	–
(iii)	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	2	–
(iv)	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (एमपीएलएडीएस)	1	–
(v)	सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति	1	–
(vi)	याचिका समिति	2	–
(vii)	विशेषाधिकार समिति	2	–
(viii)	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	2	–
(ix)	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	–	–
(x)	आवास समिति	1	–
(xi)	राज्य सभा की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन संबंधी समिति	1	–
(xii)	नियम समिति	–	–

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां

क्रम संख्या	समिति का नाम	बैठकों की सं.	रिपोर्टों की सं.
1	2	3	4
(i)	वाणिज्य संबंधी समिति	3	–
(ii)	गृह कार्य संबंधी समिति	1	–
(iii)	शिक्षा, महिला, बाल, युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी समिति	2	–
(iv)	उद्योग संबंधी समिति	1	–
(v)	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति	–	–
(vi)	पर्यटन, परिवहन और संस्कृति संबंधी समिति	12	–
(vii)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति	2	–
(viii)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति	5	–

परिशिष्ट तीन

1अप्रैल से 30 जून, 2023 की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों के कार्यकलापों को दर्शाने वाला विवरण

विधान मंडल	अवधि	बैठकें	सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित (पारित)]	गैर–सरकारी [पुरःस्थापित (पारित)]	तारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अतारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अल्प सूचना प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–
आंध्र प्रदेश वि.प.**	–	–	–	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–
असम वि.स.*	–	–	–	–	–	–	–
बिहार वि.स.*	–	–	1(1)	–	709(576)	(54)	54(25)
बिहार वि.प.**	–	–	–	–	–	–	–
छत्तीसगढ़ वि.स.*	–	–	–	–	–	–	–
गोवा वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात वि.स.	–	–	–	–	–	697(562)	–
हरियाणा वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश वि.स.	–	–	–	–	–	–	–
झारखंड वि.स.*	–	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक वि.स.	22.05.2023 से 24.05.2023	3	–	–	–	–	–
कर्नाटक वि.प.*	–	–	–	–	–	–	–
केरल वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–

मध्य प्रदेश वि.स.*	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र वि.प.**	–	–	–	–	–	–	–
मणिपुर वि.स.*	–	–	–	–	–	–	–
मेघालय वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–
मिजोरम वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–
नागालैंड वि.स.*	–	–	–	–	–	–	–
ओडिशा वि.स.*	–	–	–	–	–	–	–
पंजाब वि.स.	19.06.2023 से 20.06.2023	2	4(4)	–	–	3	–
राजस्थान वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–
सिक्किम वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडु वि.स.	20.03.2023 से 21.04.2023	21	19(19)	–	(1777)	(6111)	14
तेलंगाना वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–
तेलंगाना वि.प.**	–	–	–	–	–	–	–
त्रिपुरा वि.स.*	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश वि.स.	–	–	–	–	1091(300)	1575(1524)	6
उत्तर प्रदेश वि.प.	–	–	–	–	212(197)	273(168)	–
उत्तराखंड वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल वि.स.*		–	–	–	–	–	–
			केंद्र शासित प्रदेश				
दिल्ली वि.स.	17.04.2023	1	–	–	–	–	–
पुदुचेरी वि.स.*	–	–	–	–	–	–	–

**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

* राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से शून्य रिपोर्ट प्राप्त हुई।

परिशिष्ट तीन (जारी.....)

1 अप्रैल से जून 2023 की अवधि के दौरान समितियों के कार्य/बैठकों की संख्या और प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्य मंत्रणा समिति	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	याचिका समिति	गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	विशेषाधिकार समिति	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	प्राक्कलन समिति	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	आवास समिति	ग्रंथालय समिति	लोक लेखा समिति	नियम समिति	संयुक्त/ प्रवर समिति	अन्य समितियां
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
आंध्र प्रदेश वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
आंध्र प्रदेश वि.प.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
असम वि.स.	–	1	–	–	–	12	1	1	–	–	–	–	3	–	–	1[क]
बिहार वि.स.	–	11	13	10	–	11	29	10	8	–	10	10	12	–	–	164(5)[ख]
बिहार वि.प.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छत्तीसगढ़ वि.स	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	4	–	–	5[ग]
गोवा वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात वि.स.	–	2	–	–	1	2	1	4	4	–	–	–	8	–	–	7[घ]
हरियाणा वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
झारखंड वि.स.	–	–	2	–	3	–	10	9	–	8	–	6	8	–	–	130[ङ]
कर्नाटक वि.स..*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक वि.प.	–	2	2	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
केरल वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

मध्य प्रदेश वि.स.	–	–	–	–	1	1	–	4	2	–	–	1	3	–	–	9[घ]
महाराष्ट्र वि.स..**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-
महाराष्ट्र वि.प.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-
मणिपुर वि.स.	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1[ङ]
मेघालय वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मिजोरम वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
नागालैंड वि.स.	–	2	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	4	–	–	–
ओडिशा वि.स.	–	6	4	–	–	–	–	–	4	–	–	3	3	–	–	31[ज]
पंजाब वि.स.	–	2	2	–	3	1	1	2	1	–	–	(9)	2	1	–	15[झ]
राजस्थान वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सिक्किम वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडु वि.स.	1	9(20)	1	–	1	4(28)	–	–	9(14)	–	1	1	7(23)	–	–	2(2)[ञ]
तेलंगाना वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
तेलंगाना वि.प.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
त्रिपुरा वि.स.	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	–	2	–	–	–
उत्तर प्रदेश वि.स.	–	12	11	–	5	8	4	3	10	–	–	–	19	–	–	38[ट]
उत्तर प्रदेश वि.प	–	2	3	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	48[ठ]
उत्तराखंड वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल वि.स.	–	12	6	–	6	11	6	–	12	–	13	6	6	–	–	298[ड]
						संघ राज्यक्षेत्र										
दिल्ली वि.स.	–	–	–	–	3	–	–	6	2	–	–	–	3	–	–	23[ढ]
पुदुचेरी वि.स.	–	2	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	–

**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

* राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से शून्य रिपोर्ट प्राप्त हुई।

(क) महिला और बाल कल्याण संबंधी समिति–1

(ख) प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति–10, जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति–10, निवेदन समिति–16, आंतरिक संसाधनों संबंधी समिति–12, महिला एवं बाल कल्याण समिति–11, कृषि विकास उद्योग समिति–10, पर्यटन विकास समिति–11, शून्यकाल समिति–14(5), आचार समिति–11, बिहार विरासत विकास समिति–26, अल्पसंख्यक कल्याण समिति–23 और पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति–10

(ग) महिला एवं बाल कल्याण समिति–1 और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति–4

(घ) सदस्य आवास समिति–2, पंचायती राज समिति–3, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु कल्याण समिति–1 और सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति–1

(ङ) विशेषाधिकार समिति–3, सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति–8, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति–8, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति–12, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति–10, महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति–6, निवेदन समिति–5, विधायक निधि निगरानी समिति–10, युवा, संस्कृति, खेल एवं पर्यटन समिति–6, जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति–7, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति–9, अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति–9, शून्यकाल समिति–7, गैर–सरकारी संकल्पों संबंधी समिति–7 और सदाचर समिति –7

(च) आवेदन/अभ्यावेदन संबंधी समिति–5, पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति–2, कृषि विकास समिति–2

(छ) महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति–1

(ज) विद्युत उत्पादन संबंधी हाउस समिति–1, अनुरोध संबंधी हाउस समिति–5, आचार संबंधी हाउस समिति–6, स्थायी समिति–II–2, स्थायी समिति–III–4, स्थायी समिति–IV–6, स्थायी समिति–VI–4, स्थायी समिति–VIII–1 और स्थायी समिति–IX–2

(झ) वर्ष 2023–24 के लिए प्रश्न एवं संदर्भ संबंधी समिति–2, स्थानीय निकाय समिति–2, पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति–3, सहयोग एवं तत्सम्बन्धी कार्यकलापों संबंधी समिति–3 और बुद्ध दरिया और घग्गर दरिया संबंधी समिति–5

(ञ) प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति– 1(1) और सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति– 1(1)

(ट) राज्य के स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच संबंधी समिति–12, महिला एवं बाल कल्याण संबंधी संयुक्त समिति–6, संसदीय निगरानी समिति–14 और पंचायती राज समिति–6

(ठ) प्रश्न एवं संदर्भ संबंधी समिति–3, वित्तीय एवं प्रशासनिक विलंब संबंधी समिति–4, संसदीय अध्ययन संबंधी समिति–4, उत्तर प्रदेश विधान मंडल की आवास संबंधी शिकायतों की जांच संबंधी समिति–5, संसदीय एवं समाज कल्याण समिति–4, विकास प्राधिकरणों में अनियमितताओं के नियंत्रण संबंधी समिति, आवासन मंडल, जिला पंचायतों एवं नगर निगम–4, प्रांतीय विद्युत व्यवस्था की जांच संबंधी समिति, विनियमन समीक्षा समिति–4, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन जांच समिति–4, शिक्षा के व्यावसायीकरण संबंधी समिति–4, विधायी अधिकारिता समिति–4 और खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के चलन के कारण जीवन के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की रोकथाम संबंधी समिति–4

(ड) विधायक इलाका उन्नयन प्रकल्प संबंधी समिति–11, स्थानीय निधि लेखा समिति–12, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति–6, समिति प्रणाली के सुधार और कार्यकरण संबंधी समिति–6, कृषि, कृषि विपणन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं बागवानी संबंधी स्थायी समिति–7, उद्योग, वाणिज्य और उद्यम संबंधी स्थायी समिति–9, मात्स्यिकी और पशु संसाधन

विकास संबंधी स्थायी समिति–12, उच्चतर शिक्षा संबंधी स्थायी समिति–8, स्कूल शिक्षा संबंधी स्थायी समिति–7, पर्यावरण, वन एवं पर्यटन संबंधी स्थायी समिति–10, वित्त एवं योजना संबंधी स्थायी समिति–5, खाद्य एवं आपूर्ति संबंधी स्थायी समिति–8, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति–9, गृह, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, सुधारात्मक प्रशासन, विधि एवं न्यायिक संबंधी स्थायी समिति–11, आवास, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं एवं आपदा प्रबंधन संबंधी स्थायी समिति–10, सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों एवं युवा सेवाओं और खेल संबंधी स्थायी समिति–14, सिंचाई और जलमार्ग तथा जल संसाधन जांच और विकास सम्बन्धी स्थायी समिति –10, श्रम संबंधी स्थायी समिति–12, शहरी विकास और नगरपालिका मामलों संबंधी स्थायी समिति –10, पंचायत और ग्रामीण विकास तथा सुंदरबन मामलों संबंधी स्थायी समिति –12, विद्युत और गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों संबंधी स्थायी समिति –6, लोक निर्माण और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी संबंधी स्थायी समिति –12, सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा संबंधी स्थायी समिति–12, स्वयं सहायता समूह और स्व–रोजगार संबंधी स्थायी समिति–12, महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण संबंधी स्थायी समिति–12, परिवहन संबंधी स्थायी समिति–12, पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी स्थायी समिति–11, अल्पसंख्यक मामलों संबंधी स्थायी समिति–9, भूमि एवं भूमि सुधार संबंधी स्थायी समिति–12, और सहकारिता एवं उपभोक्ता मामलों संबंधी स्थायी समिति–11

(ढ) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति–2, प्रशासनिक मामलों पर विभागों से संबद्ध स्थायी समिति–1, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति–2, अनधिकृत कॉलोनियों संबंधी समिति–1, महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति–2, विधान सभा के सदस्यों के वेतन और अन्य भत्तों संबंधी समिति–1, प्रोटोकॉल मानदंडों के उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति–1, छात्रों और युवाओं के कल्याण संबंधी समिति–1, याचिका संबंधी समिति–7, विभागों से संबद्ध शिक्षा संबंधी स्थायी समिति–1, विभागों से संबंद्ध विकास संबंधी स्थायी समिति–2 तथा प्रश्न और संदर्भ समिति–3

परिशिष्ट चार

1 अप्रैल से 30 जून 2023 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूची

–शून्य–

परिशिष्ट पांच

1 अप्रैल से 30 जून 2023 की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों की सूची

बिहार

1. आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेब्लिंग) (संशोधन) विधेयक, 2023

पंजाब

1. दि पंजाब पुलिस (अमेंडमेंट) बिल, 2023
2. दि पंजाब एफिलिएटेड कॉलेज (सिक्यूरिटी ऑफ सर्विस) अमेंडमेंट बिल, 2023
3. दि सिख गुरद्वारा (अमेंडमेंट) बिल, 2023
4. दि पंजाब यूनिवर्सिटीज लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2023

तमिलनाडु

1. दि तमिलनाडु एप्रोप्रिएशन बिल, 2023
2. दि तमिलनाडु एप्रोप्रिएशन (वोट ओन अकाउंट) बिल, 2023
3. दि चेन्नई सिटी पुलिस (अमेंडमेंट) बिल, 2023
4. दि फैक्टरी (तमिलनाडु अमेंडमेंट) बिल, 2023
5. दि तमिलनाडु शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2023
6. दि इंडियन स्टांप (तमिलनाडु अमेंडमेंट) बिल, 2023
7. दि तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
8. दि तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
9. दि तमिलनाडु रिपीलिंग (सेकेंड) बिल, 2023
10. दि तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, 2023
11. दि तमिलनाडु फिशरीज यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2023
12. दि तमिलनाडु शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2023

13. दि तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज (अमेंडमेंट) बिल, 2023
14. दि तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2023
15. दि तमिलनाडु फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2023
16. दि तमिलनाडु ट्रांसपेरेंसी इन टेंडर्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
17. दि तमिलनाडु लैंड कंसोलिडेशन (फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट्स) बिल, 2023
18. दि तमिलनाडु रिपीलिंग (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, 2023
19. दि तमिलनाडु एप्रोप्रिएशन (संख्या 2) बिल, 2023

परिशिष्ट छह

1 अप्रैल से 30 जून 2023 की अवधि के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

क्रम सं.	अध्यादेश का शीर्षक	प्रख्यापन की तिथि	सभा पटल पर रखने की तिथि	समाप्ति की तिथि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
	राज्य सरकारें उत्तर प्रदेश				
1.	दि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपालिटीज (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	–	–	–	–
2.	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 2023	–	–	–	–
3.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	–	–	–	–
4.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (सेकेंड अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	–	–	–	–
5.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (थर्ड अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	–	–	–	–
6.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (फोर्थ अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	–	–	–	–
7.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (फिफ्थ अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	–	–	–	–
8.	उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023	–	–	–	–
9.	उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023	–	–	–	–
10.	उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
11.	उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023	–	–	–	–
12.	उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023	–	–	–	–
13.	उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2023	–	–	–	–
14.	उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2023	–	–	–	–
15.	उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पांचवा संशोधन) अध्यादेश, 2023	–	–	–	–

परिशिष्ट सात

क. 17वीं लोक सभा में दल-वार प्रतिनिधित्व (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार)
(30.06.2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	बीजेपी	कांग्रेस	द्रमुक	एआईटीसी	वाईएसआरसीपी	एसएस	जद(यू)	बीजद	बसपा	बीआरएस	एलजेएसपी	राकांपा	सपा	सीपीआई (एम)	आईयूएमएल	जेकेएनसी	तेदेपा	एडी(एस)	एआईएमआईएम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	25	–	–	–	–	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	14	9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	40	17	1	–	–	–	–	16	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	11	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	26	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	हरियाणा	10	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	जम्मू और कश्मीर[1]	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
11.	झारखंड	14	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	28	25	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13.	केरल	20	–	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–
14.	मध्य प्रदेश	29	28	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	महाराष्ट्र	48	22	–	–	–	–	18	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1
16.	मणिपुर	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–
17.	मेघालय	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	मिजोरम	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैंड	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	ओडिशा	21	8	1	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	पंजाब	13	2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	राजस्थान	25	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	सिक्किम	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	39	–	8	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
25.	तेलंगाना	17	4	3	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1
26.	त्रिपुरा	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	उत्तर प्रदेश	80	64	1	–	–	–	–	–	–	9	–	–	–	3	–	–	–	–	2	–
28.	उत्तराखंड	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	पश्चिम बंगाल	42	17	2	–	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	चंडीगढ़	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	दादरा एवं नगर हवेली[2]	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33.	दमन एवं दीव[2]	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

35.	लक्षद्वीप	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
36.	पुदुचेरी	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	543	301*	50	24	23	22	19	16	12	9	9	6	5	3	3	3	3	3	2	2

[1] संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में विभाजित।

[2] दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक संघ राज्यक्षेत्र में विलय कर दिया गया।

* माननीय लोक सभा अध्यक्ष सहित।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	भाकपा	एसएडी	आप	अन्नाद्रमुक	एसएडी (ए) (एसएसएम)	एआईयूडीएफ	आजसू	एनपीएफ	एमएनएफ	जद (एस)	झामुमो	वीसीके	एसकेएम	केसी (एम)	एनडीपीपी	एनपीपी	आरएसपी	आरएलपी	निर्दलीय	नाम.	कुल	रिक्त पद
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
3.	असम	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	14	–
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40	–
5.	छत्तीसगढ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
7.	गुजरात	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26	–
8.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	1
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
10.	जम्मू और कश्मीर[1]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–
11.	झारखंड	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–
12.	कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	28	–
13.	केरल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	19	1
14.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29	–
15.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	1	–	46	2
16.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
17.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–
18.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
19.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
20.	ओडिशा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	–
21.	पंजाब	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–

22. राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	25	–
23. सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
24. तमिलनाडु	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39	–
25. तेलंगाना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	–
26. त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
27. उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	79	1
28. उत्तराखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
29. पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42	–
30. अंडमान एवं निकोबार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
31. चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
32. दादरा एवं नगर हवेली[2]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
33. दमन एवं दीव[2]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
34. रा. रा. क्षेत्र दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–
35. लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
36. पुदुचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
कुल	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	–	538	5	

[1] संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में विभाजित।

[2] दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक संघ राज्यक्षेत्र में विलय कर दिया गया।

पार्टियों के लिए प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर :

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा); भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी); द्रविड़ मुनेत्र कज़गम (डीएमके); अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी); युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी); शिव सेना (एसएस); जनता दल (यूनाइटेड) [जद(यू)]; बीजू जनता दल (बीजद); बहुजन समाज पार्टी (बसपा); भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस); लोक जन शक्ति पार्टी (एलजेएसपी); राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी); समाजवादी पार्टी (सपा); भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [सीपीआई (एम)]; इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल); जम्मू एवं कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन (जेकेएनसी); तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी); अपना दल (सोनेलाल) [एडी(एस)]; ऑल इंडिया मजलिस –ए– इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम); भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई); शिरोमणि अकाली दल (शिअद); आम आदमी पार्टी (आप); अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम (एआईएडीएमके); शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) (सिमरनजीत सिंह मान) – [एसएडी (ए) (एसएसएम)]; ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ); आजसू पार्टी (आजसू); नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ); मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ); जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) [जद (एस)]; झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (झामुमो); विदुथलाई चैरुथाइगल काची (वीसीके); सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम); केरल कांग्रेस (एम) [केसी(एम)]; नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी); नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी); रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी); राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) और निर्दलीय (आईएनडी)।

ख. राज्य सभा में दलीय स्थिति (07 जुलाई 2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की सं.	भा.रा.कां.	भा.ज.पा.	स.पा.	भा.क.पा. (मा.)	ज.द. (यू.)	ए.आई.ए. डी.एम.के.	ब.स.पा.	भा.क.पा.	*अन्य	निर्द.	कुल	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	आंध्र प्रदेश	11	–	1	–	–	–	–	–	–	10[क]	–	11	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
3.	असम	7	–	4	–	–	–	–	–	–	2[ख]	1	7	–
4.	बिहार	16	1	4	–	–	5	–	–	–	6[ग]	–	16	–
5.	छत्तीसगढ़	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
6.	गोवा	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
7.	गुजरात	11	3	8	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–
8.	हरियाणा	5	1	3	–	–	–	–	–	–	–	1	5	–
9.	हिमाचल प्रदेश	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
10.	झारखंड	6	1	3	–	–	–	–	–	–	2[घ]	–	6	–
11.	कर्नाटक	12	5	6	–	–	–	–	–	–	1[ङ]	–	12	–
12.	केरल	9	1	–	–	4	–	–	–	2	2[च]	–	9	–
13.	मध्य प्रदेश	11	3	8	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–
14.	महाराष्ट्र	19	3	8	–	–	–	–	–	–	8[छ]	–	19	–
15.	मणिपुर	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
16.	मेघालय	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1[ज]	–	1	–
17.	मिजोरम	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1[झ]	–	1	–
18.	नागालैंड	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
19.	ओडिशा	10	–	1	–	–	–	–	–	–	9[ञ]	–	10	–
20.	पंजाब	7	–	–	–	–	–	–	–	–	7[ट]	–	7	–
21.	राजस्थान	10	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–
22.	सिक्किम	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1[ठ]	–	1	–
23.	तमिलनाडु	18	1	–	–	–	–	4	–	–	13[ड]	–	18	–

24.	तेलंगाना	7	–	–	–	–	–	–	–	–	7[ङ]	–	7	–
25.	त्रिपुरा	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
26.	उत्तराखंड	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
27.	उत्तर प्रदेश	31	–	24	3	–	–	–	1	–	1[ण]	1	30	–
28.	पश्चिम बंगाल	16	2	–	–	1	–	–	–	–	12[त]	–	15	–
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3[थ]	–	3	–
30.	जम्मू और कश्मीर	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	पुदुचेरी	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
32.	नामनिर्दिष्ट	12	–	5	–	–	–	–	–	–	–	5	10	–
	कुल	245	31	92	3	5	5	4	1	2	86	8	237	–

अन्य

(दलों/समूहों का ब्यौरा)

(क) ते.दे.पा. –1, वाई.एस.आर.सी.पी. –9
(ख) अ.ज.प.–1, यू.पी.पी. (एल.)–1
(ग) रा.ज.द.–6
(घ) झा.मु.मो.–2
(ङ) ज.द.(एस)–1
(च) आई.यू.एम.एल.–1, के.कां.(एम.)–1
(छ) रा.क.पा.–4, शि.से.–3, आर.पी.आई. (अठावले)–1
(ज) एन.पी.पी. –1
(झ) एम.एन.एफ़.–1
(ञ) बी.ज.द.–9
(ट) आप–7
(ठ) सि.डे.फ्रंट–1
(ड) द्र.मु.क.–10, म.द्र.मु.क.–1, पी.एम.के.–1, टी.एम.सी. (एम)–1
(ढ) बी.आर.एस.–7
(ण) रा.लो.द.–1
(त) ए.आई.टी.सी.–12
(थ) आप–3

ग. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों में दलीय स्थिति

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की सं.	भा.रा.कां.	भा.ज.पा.	भा.क.पा. (मा.)	भा.क.पा.	रा.कां.पा.	ब.स.पा.	ज.द.(यू).	ज.द.(एस)	अन्य दल	निर्दलीय	कुल	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
आंध्र प्रदेश वि.प.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
असम वि.स.	126	27	63	1	–	–	–	–	–	34(क)	1	126	–
बिहार वि.स.	243	19	78	2	2	–	–	45	–	96(ख)	1	243	–
बिहार वि.प.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छत्तीसगढ़ वि.स.	90	71	13	–	–	–	2	–	–	2(ग)	1	89	1
गोवा वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात वि.स.	182	17	156	–	–	–	–	–	–	6(घ)	3	182	–
हरियाणा वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
झारखण्ड वि.स.	82	16	25	–	–	–	–	–		38(ङ)	2	81	1
कर्नाटक वि.स.	224	134	66	–	–	–	–	–	19	3(च)	2	224	–
कर्नाटक वि.प.	75	26	34	–	–	–	–	–	8	1(छ)	1	70	5
केरल वि.स.**	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– –
मध्य प्रदेश वि.स.	230	96	127	–	–	–	2	–	–	1(ज)	4	230	–
महाराष्ट्र वि.स.**	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– –
महाराष्ट्र वि.प.**	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– –
मणिपुर वि.स.	60	5	37	–	–	–	–	1	–	14(झ)	3	60	–
मेघालय वि.स.**	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– –
मिजोरम वि.स.**	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– –

नागालैंड वि.स.	60	–	12	–	–	7	–	1	–	36(ञ)	4	60	–	
ओडिशा वि.स.	147	9	22	1	–	–	–	–	–	114(ट)	1	147	–	
पंजाब वि.स.	117	18	2	–	–	–	1	–	–	95(ठ)	1	117	–	
राजस्थान वि.स.**	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
सिक्किम वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
तमिलनाडु वि.स.	234	18	4	2	2	–	–	–	–	208(ड)	–	234	–	
तेलंगाना वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
तेलंगाना वि.प.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
त्रिपुरा वि.स.	59	3	31	11	–	–	–	–	–	14(ढ)	–	58	1	
उत्तर प्रदेश वि.स.	403	2	255	–	–	–	1	–	–	145(ण)	–	403	–	
उत्तर प्रदेश वि.प.	100	–	82	–	–	–	1	–	–	13(त)	4	100	–	
उत्तराखण्ड वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	
पश्चिम बंगाल वि.स.	294	1	75	–	–	–	–	–	–	216(थ)	1	293	1	
संघ राज्यक्षेत्र														
दिल्ली वि.स.	70	–	8	–	–	–	–	–	–	62(द)	–	70	–	
पुदुचेरी वि.स.	33	2	9	–	–	–	–	–	–	16(ध)	6	33	–	

** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडल से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(क) असम गण परिषद(ए.जी.पी.)–9, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यू.पी.पी.एल.)–7, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (ए.आई.यू.डी.एफ.) –15 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बी.पी.एफ.)–3

(ख) राष्ट्रीय जनता दल –79, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) (लिबरेशन)–12, ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन –1 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर)–1

(ग) जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) (जे.सी.सी.) (जे) – 2

(घ) आम आदमी पार्टी–5 और समाजवादी पार्टी–1

(ङ) अध्यक्ष–1, झारखंड मुक्ति मोर्चा–28, झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक)–2, आजसू पार्टी–3, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) (लिबरेशन)–1, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी–1, राष्ट्रीय जनता दल–1, और नामनिर्दिष्ट–1

(च) कल्याण राज्य प्रगति पक्ष (केआरपीपी)–1, सर्वोदय कर्नाटक पक्ष (एसकेपी)–1 और अध्यक्ष –1
(छ) सभापति–1
(ज) समाजवादी पार्टी –1
(झ) नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) –7, नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ)–5 और कुकी पीपुल्स एलायंस (केपीए) –2
(ञ) नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) –25, नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ)–2, लोक जनशक्ति पार्टी (आरवी)–2, नेशनल पीपुल्स पार्टी –5 और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) –2
(ट) बीजू जनता दल (बी.जे.डी.)–114
(ठ) आम आदमी पार्टी –92 और शिरोमणि अकाली दल –3
(ड) द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम –132, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम –66, पट्टाली मक्कल काची –5, विदुथलाई चिरुथैगल काची –4 और माननीय अध्यक्ष –1
(ढ) इंडिजीनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ़ त्रिपुरा (आई.पी.एफ.टी.)–1 और टिपरा मोथा पार्टी (टी.एम.पी.)–13
(ण) समाजवादी पार्टी –109, अपना दल (सोनेलाल)–13, राष्ट्रीय लोक दल –9, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल –6, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी –6 और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक–2
(त) समाजवादी पार्टी –9, अपना दल (सोनेलाल)– 1, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल –1, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक –1 और शिक्षक दल (गैर–राजनीतिक) –1
(थ) ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस–215 और राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी–1
(द) आम आदमी पार्टी –62
(ध) ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस–10 और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम –6

संसदीय पत्रिका (त्रैमासिक)

संसदीय पत्रिका लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली त्रैमासिक पत्रिका दी जनरल ऑफ पार्लियामेंटरी इन्फार्मेशन का हिंदी रूपान्तरण है। यह पत्रिका संसद के साथ साथ राज्यों और विदेशी विधायी निकायों के कार्यकलापों के बारे में जानकारी का प्रामाणिक अभिलेख है। यह भारत में लोकतंत्र के क्रमिक विकास को प्रतिबिम्बित करते हुए संसदीय व्यवस्था के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी साझा करती है।